रजिस्ट्री सं० डी-(डी)—73

REGISTERED NO. D-(D)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 21] नई दिल्ली, शनिवार, मई 24, 1975 (ज्येष्ठ 3, 1897)

No. 21] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 24, 1975 (JYAISTHA 3, 1897)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	395
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	737
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	675
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट	*
भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	*
भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खंड 1—महालेखा परीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	3943
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	319
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1197
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	85

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	395
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	73
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence.	675
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	*
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	*
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India ..	3943
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta ..	319
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	119
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	85

*Folio Nos. not received from the Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi.

भाग I—खंड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनिमयों तथा आदेशों और संकेतों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 जनवरी 1975

सं० 38-प्रेज़/75—राष्ट्रपति निम्नांकित व्यक्तियों को उत्कृष्ट वीरता के लिए "कीर्ति चक्र" प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :—

1. मेजर मोहिन्दर सिंह कादियां (आई० सी०-10416), जाट रेजिमेंट,

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—28 अप्रैल, 1973)

28 अप्रैल, 1973 को मेजर मोहिन्दर सिंह कादियां को विरोधी नागा दल के मुख्यालय पर छापा मारने के लिए एक धावा पार्टी का कमाण्डर नियुक्त किया गया था । इन्हे, नाकाबन्दी दलों द्वारा पार्श्वों में मोर्चा लेने के बाद, धावा बोलना था । जिस समय नाकाबन्दी दल अपने मोर्चे पर जा रहा था, विरोधी चौकन्ने हो गए और उन्होंने तुरन्त गोली चला दी । मेजर कादियां ने समझ लिया कि विरोधियों पर अचानक धावा बोलने वाली बात खत्म हो गई है और वे अब भाग निकलेंगे । अतः इन्होंने कैम्प पर तुरन्त धावा बोलने का आदेश दे दिया, यद्यपि अभी तक पूरा धावा दल इकट्ठा नहीं हो पाया था । जिस समय धावा दल विरोधियों के कैम्प पर हमला कर रहा था इन्होंने एक विरोधी को, पेड़ के पीछ से, अपने ऊपर गोली चलाते देखा । कूल्हे पर से गोली चलाते हुए, वह एकाएक उस विरोधी पर झपट पड़े और उसके सिर में गोली दाग दी । इस साहसपूर्ण कार्रवाई ने न केवल विरोधी नागाओ को बच निकलने से रोक दिया, बल्कि इसके फलस्वरूप उनके चार अफसर भी मारे गए जिनमे से एक स्वकथित ब्रिगेडियर भी था, और उनके हथियार, सामान तथा उपयोगी दस्तावेज़ भी पकड़े गए ।

इस कार्रवाई में मेजर मोहिन्दर सिंह कादियां ने उत्कृष्ट वीरता और दृढ़-संकल्प का परिचय दिया ।

2. श्री स्वर्ण सिंह बोपाराय,
उप आयुक्त,
फीरोजपुर ।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—26 नवम्बर, 1973)

25 नवम्बर, 1973 की रात को, बघेल सिंह नामक एक व्यक्ति के लगभग 150 अनुयायियों ने, जो स्वचालित और अन्य हथियारों से लैस थे, उनके नेता के प्रति निष्ठा न रखने के कारण, आलमगढ़ गांव के निर्दोष लोगों पर हमला कर दिया । परिणामस्वरूप, 13 व्यक्ति मारे गए और 15 गम्भीर रूप से घायल हो गए । यह जघन्य अपराध करने के बाद, वे रात के अंधेरे में भाग निकले और पुलिस उन्हें अगले दिन सुबह ही पक्की रेलवे स्टेशन के पास ढूंढ़ पायी । जब इन्होंने देखा कि पुलिस ने इन्हें घेर लिया है तो वे कबरवाला गांव के पास एक फार्म-हाउस में घुस गए । इस फार्म-हाउस की बड़ी ऊंची चारदीवारी थी । स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण थी और अपराधियों की संख्या पुलिस दल से कहीं अधिक थी । इसके अलावा उनके पास शस्त्रादि भी बहुत थे । अतः सेना को भी सतर्क कर दिया गया था कि आवश्यकता पड़ने पर, अपराधियों को काबू में लाने के लिए, वह सिविल प्राधिकारियों की मदद करने को तैयार रहे । श्री स्वर्ण सिंह बोपाराय, उप आयुक्त, फीरोजपुर, ठीक उस समय घटना-स्थल पर पहुंचे जबकि दोनों पक्ष खून-खराबे के लिए तैयार थे ।

श्री स्वर्ण सिंह बोपाराया गिरोह के नेताओं के साथ बातचीत करने के लिए उनके पास निहत्थे जाने के लिए स्वयं आगे आए ताकि उन्हें अपने-आप को पुलिस के हवाले कर देने के लिए राजी किया जा सके । श्री बोपाराय ने बड़ी होशियारी और समझबूझ के साथ बातचीत करके अपराधियों को हथियारों और गोला-बारूद सहित, पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए राजी कर लिया । उनके पास हथगोले, स्टेनगन, राइफलें, पिस्तौलें, बन्दूकें, किरपानें, भाले, चाकू तथा विभिन्न केलिबर के 4000 से अधिक कारतूस पाए गए ।

इस कार्रवाई में श्री स्वर्ण सिंह बोपाराय ने उत्कृष्ट साहस, सतर्कता तथा दृढ़-संकल्प का परिचय दिया ।

3. श्री जुहेतो स्वू,
कमाण्डेन्ट,
सीमा सुरक्षा दल ।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—31 दिसम्बर, 1973)

सीमा सुरक्षा दल की एक बटालियन के कमाण्डेंट श्री जुहेतो स्वू ने नागालैण्ड में सीमा सुरक्षा दल की बहुमूल्य सहायता की । 1968 से वह अपनी जान को खतरे में डालकर छिपे हुए विरोधियों के खिलाफ कार्रवाइयों में लगातार मदद करते रहे हैं । इन्होंने विरोधियों के कैम्प ढूंढ़ निकालने में सफलता प्राप्त की

और उन पर कई छापे मारे जिसके परिणामस्वरूप कई विरोधी पकड़े गए और भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद हुआ । अपनी जान की परवाह न कर, इन्होंने अच्छी तरह प्रशिक्षित 175 विरोधियों के एक गिरोह को उनके नेता सहित पकड़ने में महत्वपूर्ण योगदान दिया ।

इस प्रकार श्री जुहतो स्वू ने उत्कृष्ट वीरता, पहलशक्ति और कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

4. जे० सी० 190062 नायब सूबेदार कल्याण सिंह, असम राइफल्स ।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—31 जनवरी, 1974)

नायब सूबेदार कल्याण सिंह को छिपे हुए मिज़ो विरोधियों के उस स्वकथित नेता को पकड़ने के लिए भेजा गया जो उस क्षेत्र में कार्यरत था । सुरक्षा दल काफी लम्बे समय से उसकी तलाश में था । नायब सूबेदार कल्याण सिंह और उनके साथियों ने उसकी तलाश की और अन्ततः उसे एक गांव में पाया । इन्होंने उसे पकड़ने के लिए अपना जाल बिछाया । यद्यपि नायब सूबेदार कल्याण सिंह का दल संख्या में विरोधियों से कम था फिर भी इन्होंने आक्रमण कर दिया और विरोधी नेता को घायल कर उसे पकड़ लिया । उस क्षेत्र में कार्यरत कुख्यात विरोधी नेताओं में से जो एक नेता पकड़ा गया, उसका श्रेय पूर्णतः नायब सूबेदार कल्याण सिंह को ही है ।

इस कार्रवाई में नायब सूबेदार कल्याण सिंह ने उच्चकोटि के अनुकरणीय साहस और दृढ़-संकल्प का परिचय दिया ।

5. 5833405 हवलदार जोगेन्द्र सिंह सेन, वीर चक्र, गोरखा राइफल्स ।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि— 24 अप्रैल, 1974)

हवलदार जोगेन्द्र सिंह सेन एक ऐसे गश्ती दल के सदस्य थे जिसे घने जंगल में स्थित विरोधी नागाओं के एक कैम्प पर छापा मारने का काम सौंपा गया था । 23/24 अप्रैल, 1974 की रात को, जबकि काले बादल छाए हुए थे, यह दल घने जंगल के एक दुर्गम भू-प्रदेश से होता हुआ बेस पर पहुंचा जहां से ऊपर की ओर विरोधियों के कैम्प को, केवल एक ही रास्ता जाता था । इस रास्ते का नागा विद्रोही भी इस्तेमाल करते थे और वहां पर उनका एक सन्तरी लगातार रहता था जिसकी चौकी के सही ठिकाने का पता नहीं था । हवलदार जोगेन्द्र सिंह सेन और दो जवानों को, इस मार्ग की रखवाली कर रहे सन्तरी को खामोश करने का काम सौंपा गया । इस काम के लिए उन्हें खड़ी चढ़ाई पर चुपके-चुपके रेंगते हुए चढ़ना था । इस बात को भली भांति जानते हुए भी कि उनकी जान जोखिम में है यह दल 20 मिनट तक रेंगते हुए ऊपर चढ़ता रहा और उन्होंने अचानक स्वयं को एक सशस्त्र विरोधी के सामने पाया जिसने कि एक पत्थर की आड़ ले रखी थी । दल में से एक उस सन्तरी पर टूट पड़ा और तभी पास के कैम्प से विरोधियों ने गोलाबारी शुरु कर दी ।

हवलदार सेन इससे विचलित नहीं हुए और वह धावा दल का इंतजार न कर, अपनी स्टेनगन से गोली चलाते हुए, उसी दिशा में झपट पड़े जहां से गोली चलाई जा रही थी । वह एक विरोधी पर टूट पड़े और उसे मार डाला । धावा दल तो अभी कैम्प की ओर बढ़ ही रहा था, जबकि हवलदार सेन विरोधी कैम्प में बेतहाशा हड़बड़ी मचाए हुए थे । उन्होंने एक और विरोधी को वहीं पर ढेर कर दिया और बाकी विरोधी कैम्प को छोड़-कर वहां से भाग निकले । कैम्प से सही हालत में चार हथियार गोलाबारूद, भण्डार तथा महत्वपूर्ण दस्तावेज़ पकड़े गए ।

इस कार्रवाई में हवलदार जोगेन्द्र सिंह सेन ने उत्कृष्ट वीरता, दृढ़-संकल्प तथा कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

सं० 39-प्रेज़/75 —राष्ट्रपति निम्नांकित व्यक्तियों को वीरता के लिये "शौर्य चक्र" प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :—

1. श्री रवि रतन पटेल,
सुरक्षा गार्ड,
राउरकेला इस्पात कारखाना,
उड़ीसा ।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—28 जून, 1971)

27/28 जून, 1971 की रात को लगभग 2 बजकर 20 मिनट पर, छुरों से लैस, 4-5 अपराधियों के एक गिरोह ने, राउर-केला इस्पात कारखाने की इस्पात मेल्टिंग शाप के उप-भण्डार पर हमला किया । सुरक्षा गार्ड श्री रवि रतन पटेल ने शोर मचाया और लगभग 10 मिनट तक वह अकेले ही उन अपराधियों के साथ साहसपूर्वक जूझते रहे । उनके शरीर पर छुरे से कई चोटें आयीं । बाद में, कारखाने के कई कारीगर भागकर घटना-स्थल पर पहुंच गये और अपराधियों से भिड़ गये । श्री पटेल के सहासपूर्ण सघर्ष के कारण अपराधी वहां से कोई सामान नहीं ले जा सके ।

इस कार्रवाही में श्री रवि रतन पटेल ने अनुकरणीय साहस, दृढ़-संकल्प तथा उत्कृष्ट कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

2. श्री पलटन सिंह, (मरणोपरांत)
ग्राम टेन्टपोसी,
डाक० उपेरबाड़ा,
जिला मयूरभंज,
उड़ीसा ।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—28 जून, 1971)

27/28 जून, 1971 की रात को लगभग 2 बजकर 20 मिनट पर, छुरों से लैस, 4-5 अपराधियों के एक गिरोह ने, राउ-केला इस्पात कारखाने की इस्पात मेल्टिंग शाप के उप-भण्डार पर हमला किया। उनका मुकाबिला सुरक्षा गार्ड श्री रवि रतन पटेल ने किया जिनके शरीर पर छुरे से कई चोटें आईं। हमले की बात सुनकर यांत्रिक अनुरक्षण कार्यालय में रिगर, श्री पलटन सिंह, चार्जमैन श्री शिकारपुर श्रीधर

जायस तथा कुछ अन्य कारीगरों के साथ, घटना-स्थल की ओर भागे। अपनी जान की परवाह न करते हुए, श्री पलटन सिंह ने अपराधियों को चुनौती दी। जब वह एक अपराधी को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे तो उनके पेट में छुरा लगा जिसके परिणामस्वरूप बाद में उनकी मृत्यु हो गई। श्री पलटन सिंह के साहसपूर्ण संघर्ष के कारण अपराधी वहां से कोई सामान नहीं ले जा सके।

इस कार्यवाई में श्री पलटन सिंह ने अनुकरणीय साहस, दृढ़-संकल्प और उत्कृष्ट कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

3. श्री शिकारपुर श्रीधर जायस, (**मरणोपरांत**)
चार्जमैन, मैकेनिकल मैंटेनेंस कार्यालय राउरकेला इस्पात कारखाना, उड़ीसा।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—28 जून, 1971)

27/28 जून, 1971 की रात को लगभग दो बजकर 20 मिन्ट पर राउरकेला इस्पात कारखाने की इस्पात गलाई घर के उप-भण्डार पर छुरों से लैस 4-5 अपराधियों के एक गिरोह ने हमला किया। उनका मुकाबला भण्डार के सिक्यूरिटी गार्ड, श्री रवि रतन पटेल ने किया जिनके शरीर पर बहुत चोटें आयीं इस हमले की सूचना पाते ही मैकेनिकल मेंटेनेन्स कार्यालय के चार्जमैन, श्री शिकारपुर श्रीधर जायस तत्काल श्री पलटन सिंह तथा अन्य कर्मचारियों के साथ घटना स्थल की ओर दौड़े। अपराधियों ने श्री-पलटन सिंह को गम्भीर रूप से घायल करने के बाद भागने की कोशिश की। जब वे भाग रहे थे तो श्री जायस ने उन्हें पकड़ने का प्रयत्न किया लेकिन इन्हें भी घायल कर दिया गया और बाद में घावों के कारण इनकी मृत्यु हो गई। श्री जायस के साहसपूर्ण संघर्ष के कारण अपराधी वहां से कोई भी सामान नहीं ले जा सके।

इस कार्रवाही मे श्री शिकारपुर श्रीधर जायस ने अनुकरणीय साहस, दृढ़-संकल्प और उत्कृष्ठ कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

4. 8013568 पाइनियर रघुबीर सिंह,
कोर आफ पाइनियर,

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—7 जनवरी, 1973)

7 जनवरी, 1973 को प्रातः श्री नगर-लेह मार्ग पर स्थित एक कैम्प स्थल पर वायुवाहित हिम-स्खलन के कारण उस क्षेत्र में काफी नुकसान हुना। वायुवाहित हिम-स्खलन के विस्फोट से उड़ती हुई बर्फ, से अनेक बेरकें नष्ट हो गयीं और अपने पीछे विनाश और विध्वंस की एक ऐसी कहानी छोड़ गई जो इस कैम्प के पिछले दस वर्षों के इतिहास में कभी नहीं घटी थी। इसका सबसे अधिक असर बिल्डिगों पर पड़ा जो धराशायी हो गईं, इनमें हमारे सैनिकों की बिल्डिगें भी शामिल थीं। इन बिल्डिगों में से एक बिल्डिग में 15 व्यक्ति थे, जिनसे कुछ ही बाहर निकल सके और बाकी जो उसमें बुरी तरह फंसे हुए थे, सहायता के लिए चिल्लाने लगे। ऐसी स्थिति में पाइनियर रघुबीर सिंह, हिम-स्खलन से हुए नुकसान और खतरे की परवाह न करते हुए अकेले आगे बढ़े और उस बिल्डिग के अन्दर फंसे लोगों को बचा लाने के लिए हर सम्भव प्रयास करने लगे। इन्होंने अपने हाथों से ही लकड़ी की छत तोड़ डाली और किसी प्रकार अन्दर घुस कर दो व्यक्तियों को निकाल लिया। पास ही से सहायता के लिए एक सिविलियन चौकीदार की आवाज सुनाई पड़ी जो अन्दर की भारी छत के नीचे दबा पड़ा था। पाइनियर रघुबीर सिंह ने अपने कंधे से उस विक्षत भारी छत को ऊपर उठाया जिससे सिविलियन चौकीदार वहां से बाहर निकल सका। बाद में पाइनियर रघुबीर सिंह ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर बाकी व्यक्तियों को बाहर निकालने में सहायता की लेकिन इनकी पूरी कोशिशों के बावजूद उन्हें जीवित नहीं निकाला जा सका।

पाइनियर रघुबीर सिंह ने उस समय भी बड़ी निर्भीकता का परिचय दिया जबकि घायल लोगों की देखभाल करने वाले डाक्टर को जान बचाने वाली दवाइयों, आक्सीजन सिलिन्डर तथा अन्य दवाइयों की तत्काल आवश्यकता थी और उन्हें नष्ट हुए एम० आई०रूम के अन्दर से लाना था और साथ ही उस समय कैम्प के चारों ओर वायुवाहित हिम-स्खलन की विनाश लीला चल रही थी।

सारी घटना के दौरान पाइनियर रघबीर सिंह ने अनुकरणीय साहस, पहलशक्ति और उत्कृष्ट दृढ़-संकल्प का परिचय दिया।

5. श्री मातबर सिंह सजवान,
ट्रैफिक अफसर,
इंडियन एयरलाइंस,
काबुल।

(**पुरस्कार की प्रभावी तिथि—1 मई, 1973**)

1 मई, 1973 को मोहम्मद खालिद नामक एक पाकिस्तानी युवक, जिसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट था, भारत जाने के लिए टिकट खरीदने के बहाने काबुल स्थित इंडियन एयरलाइंस के दफ्तर में कई बार आया। जब वह शाम को 6 बजे आखिरी बार आया तो ट्रैफिक अफसर श्री मातबर सिंह सजवान, ने जो दफ्तर बन्द कर रहे थे, खालिद को बताया कि अब देर हो गई है और कोई काम नहीं हो सकता। लेकिन खालिद आगे बढ़ा और एकाएक उसने पिस्तौल निकाली। इससे विचलित हुए बिना श्री सजवान ने तत्काल निश्चय करके उसकी कनपटी पर चोट की और साथ ही उसके उस हाथ को मजबूती से जकड़ दिया जिसमें उसने पिस्तौल पकड़ रखी थी। खालिद ने तीन बार गोली चलाई लेकिन तीनों बार उसका निशाटनप चूक गया। श्री सजवान मे अन्त में उसे निःशस्त्र कर दिया और दफ्तर के बाहर लाकर उसे एक नाले में जा ाका। जैसे ही यह हुआ, आक्रमणकारी की जेब से एक बड़ा चाकू नीचे गिर पड़ा। सहायता के लिए चिल्लाने की आवाज सुन कर कुछ राहगीरों ने पुलिस बुलाई। पुलिस ने शीघ्र ही मौके पर पहुंच कर मोहम्मद खालिद को गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ करने पर उसके तीन सहापराधियों के बारे में पता चला

जिन्हें बाद में काबुल के विभिन्न भागों में गिरफ्तार कर लिया गया।

जांच से ज्ञात हुआ कि मोहम्मद खालिद तथा उसके साथियों का उद्देश्य काबुल स्थित भारतीय राजदूत तथा भारतीय दूतावास के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की हत्या करना था और इसके लिए वे इंडियन एयर लाइंस के स्टेशन मैनेजर को बन्दूक दिखाकर राजदूत से मिलने के लिए परिचय-पत्र प्राप्त करना था।

इस कार्रवाई में श्री मातबर सिंह सजवान ने अनुकरणीय साहस, सतर्कता और उत्कृष्ट दृढ़-संकल्प का परिचय दिया।

6. कैप्टन थीटूपुराथु कृष्णन नायर सुकुमारन नायर (एस० एस० 23512), इंजीनियर्स।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि-25 जून, 1973)

25 जून, 1973 को कैप्टन थीटुपुराथु कृष्णन नायर सुकुमारन नायर, इंजीनियर रेजीमेंट की एक सैपर टुकड़ी के इंचार्ज थे। इन्हें एक ऐसे सुरंग क्षेत्र को साफ करने का काम सौंपा गया जिस पर लालियाली के दक्षिण पश्चिम ढलान पर पिम्पल स्थित पाकिस्तानी चौकी से स्वचालित हथियारों से मार हो सकती थी। अपनी कमान के सैनिकों में आत्म विश्वास पैदा करने के विचार से, सुरंगों को हटाने वाले पहले दल की कमान करने के लिए ये स्वयं आगे आये। पाकिस्तानी सेना ने सुरंगें बड़ी होशियारी से बिछायी हुई थी और उनके स्वचालित हथियार समय-समय पर गोलियां वर्षा रहे थे। इन्होंने सुरंगों को निष्क्रय करने का काम स्वयं अपने हाथ में लिया और खतरे की बिल्कुल परवाह न करते हुए इनके काम से प्रेरणा पा कर इनका दल अपना कर्त्तव्य सफलतापूर्वक पूरा कर पाया। लगभग 18 सुरंगों को निष्क्रिय करने के बाद ये लोग कुछ ऐसी सुरंगों के पास पहुंचे जिन्हें ढूंढ़ निकालना और उठाना सरल नहीं था। इस बार पुनः ये आगे आए और उन सुरंगों को ढूंढ़ निकालने और उन्हें निष्क्रिय करने में सफल हुए। लेकिन इसी बीच एक सुरंग के फट जाने से यह बुरी तरह घायल हो गये। इनके दोनों हाथ जाते रहे और पेट में भीतरी तथा का बाहरी चोटें लगीं।

इस कार्रवाई में, कैप्टन थीटुपुराथु कृष्णन नायर सुकुमारन नायर ने अनुकरणीय साहस और उत्कृष्ट दृढ़-संकल्प का परिचय दिया।

7. 190567 बटालियन हवलदार मेजर पेम्बा लामा, असम राइफल्स।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—12 जुलाई, 1973)

बटालियन हवलदार मेजर पेम्बा लामा, 10 जुलाई, 1972 को असम राइफल्स के एक गश्ती दल के सदस्य थे जिसे मिजो विरोधियों के एक छिपे स्थान को खोजने और उसे नष्ट करने का काम सौंपा गया था। इस स्थान की सूचना एक विरोधी ने ही दी थी जिसे छिपे विरोधी संगठन के लिये धन एकत्र करते हुए एक गांव में पकड़ा गया था। घने जंगलों, पहाड़ी इलाकों तथा तेज गति से बहने वाले नालों के बीच लगातार 20 घन्टे तक चलने के बाद गश्ती दल उस क्षेत्र में पहुंच गया और आक्रमण शुरू करने के लिये शीघ्र ही मोर्चा संभाल लिया। बटालियन हवलदार मेजर पेम्बा लामा तीन अन्य सैनिकों के साथ आगे बढ़े और शेष गश्ती दल ने उन्हें फायर से ओट दी। छिपे स्थान तक पहुंचने के लिये इस नान-कमीशन्ड अफसर और उसके सैनिकों को एक गहरी खाई के किनारे घने झाड़-झंखाड़ के बीच से खड़ी चट्टानों की सीधी ढाल पर से बड़ी सतर्कता पूर्वक गुजरना था। विरोधियों की ओर से होने वाली गोलीबारी की चिन्ता न करते हुए यह दल निर्भीकता के साथ तेजी से आगे बढ़ा। अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए ये 15 फुट नीचे कूद पड़े और कैम्प के बीच जा घुसे, लेकिन तब तक गोली चलाने वाले विरोधी भाग चुके थे और वे अपने पीछे गोला बारूद, सामान तथा कुछ कीमती दस्तावेज छोड़ गए थे।

इस कार्रवाही में, बटालियन हवलदार मेजर पेम्बा लामा ने अनुकरणीय साहस और उत्कृष्ट दृढ़ संकल्प का परिचय दिया।

8. 132756 राइफल मैन ढलक बहादुर ठाकुरी, असम राइफल्स।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—8 सितम्बर, 1973)

लांगचिंग ग्राम के निकट कुछ विरोधी नागाओं की मौजूदगी की सूचना पाकर असम राइफल्स की एक टुकड़ी को उनका पता लगाने और उनके छिपे स्थान पर हमला करने का काम सौंपा गया था। यह टुकड़ी 8 सितम्बर, 1973 को अपनी चौकी से निकली और सूर्य छिपने से पहले चांगलांग गांव के बाहर पहुंच गई। उन्हें विरोधियों के सही ठिकाने का जानकारी नहीं थी, लेकिन ऐसा संदेह था कि लांगचिंग की ओर पहाड़ी की ढलान पर बनी झोंपड़ियां में वे लोग छिपे हुए हैं। टुकड़ी को तीन सैक्शनों में बांट दिया गया। दो सैक्शनों की मुख्य टुकड़ी को पहाड़ी की ढलान से नीचे उतरते हुए इधर-उधर फैलकर उनकी खोज करनी थी। राइफल मैन ढलक बहादुर ठाकुरी इनमें से एक सैक्शन के साथ थे, जिसे दिन निकलने से पूर्व विरोधियों की खोज कर लेनी थी। खोज के दौरान, यह देखा गया कि नीचे ढलान पर बनी खेती झोंपड़ियों में से धूंआ निकल रहा था। झोंपड़ी की ओर बढ़ते हुए राइफल मैन ठाकुरी ने तीन विरोधियों को झोंपड़ी से बाहर निकल कर बच निकलने का प्रयास करते देखा। जब इन्होंने उन विरोधियों को रुकने और आत्मसमर्पण करने को कहा तो उन्होंने गोली चला दी। किंचित विचलित हुए बिना राइफलमैन ठाकुरी विरोधियों की ओर भागे और उनका पीछा किया तथा कुख्यात छिपे हुए विरोधी नेता ठुंगोकोन्याक को गोली मार कर धराशायी कर दिया। उक्त नेता पिस्तौल से लैस था। इस कार्रवाई से दो अन्य विरोधियों के अलावा कुख्यात छिपे हुए विरोधी नेता को मार डालने में यह टुकड़ी सफल हुई।

इस कार्रवाई में राइफल मैन ढलक बहादुर ठाकुरी ने अनुकरणीय साहस और उत्कृष्ट दृढ़-संकल्प का परिचय दिया।

9. जी/25592 ओ० इ० एम० मन्सूर खान,
जनरल रिज़र्व इंजीनियर फोर्स ।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—13 अक्तूबर, 1973)

पूरे सिक्किम और पश्चिमी बंगाल के उत्तर में 11 से 13 अक्तूबर, 1973 तक भारी और लगातार वर्षा के कारण नदियों में बाढ़ आ गई थी और रांगपो के निकट राजकीय मार्ग का लगभग 1-1/2 किलोमीटर का हिस्सा पूरी तरह से बह गया था । गंगटोक तथा रांगपो के बीच सारा यातायात पूरी तरह से ठप्प हो गया था । यद्यपि रांगपोच नदी में भारी बाढ़ आयी हुई थी और टूटे हुए भाग अपनी जगह से खिसकते जा रहे थे, फिर भी वहां पर एक नई सड़क का निर्माण तत्काल किया जाना था । ओ० इ० एम० मन्सूर खान जिन्हें यह काम सौंपा गया था, यह जानते हुए भी कि गिरते हुए शिलाखण्डों और लगातार भूमि स्खलन से उनके जीवन को खतरा है इन्होंने बहुत ही कठिन और जोखिमपूर्ण स्थिति में लगातार मशीन चलायी और इस प्रकार सिक्किम और पश्चिमी बंगाल के उत्तरी क्षेत्र को जोड़ने के लिये राजकीय मार्ग पर यातायात शीघ्र पुनः चालू करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की ।

इस कार्रवाई में, ओ० इ० एम० मन्सूर खान ने अनुकरणीय साहस, पहलशक्ति और उत्कृष्ट दृढ़-संकल्प का परिचय दिया ।

10. मेजर जगरूप सिंह बरार (आई० सी० 14433),
राजपूताना राइफल्स ।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—17 अक्तूबर, 1973)

मेजर जगरूप सिंह बरार, राजपूताना राइफल्स की उस बटालियन में थे जिसे मिज़ोरम में तैनात किया गया था। इन्होंने दो सशस्त्र विरोधियों को पकड़ा जो विरोधियों का तथा कथित राष्ट्रीय दिवस मनाने का प्रबन्ध कर रहे थे । इस तरह इन्होंने न केवल ऐसे समारोह की संभावना ही मिटा दी, अपितु पकड़े गये विरोधियों से की गई पूछताछ से छिपे हुए विरोधियों के एक छुपे हुए स्थान के बारे में भी पता चला। उस स्थान पर धावा करने के लिये यह आगे आए और इन्हें 25 व्यक्तियों के एक छापामार दल का नेतृत्व करने का काम सौंपा गया जिसे घने झाड़-झंखाड़ से ढके पहाड़ी रास्ते से उस भूभाग को पार करना था और एक नदी भी रास्ते में थी, जिसमें भारी मानसून के कारण बाढ़ आयी हुई थी । रात की 12 घन्टे की लम्बी और कठिन यात्रा के बाद छापामार दल अगले दिन संदिग्ध क्षेत्र में पहुंच गया ।

मेजर बरार ने अपनी टुकड़ी को चार दलों में बांट दिया, इनमें से दो को तो विरोधियों को रोकने के लिए घाट पर तैनात कर दिया गया और शेष दो को उनके कैम्प पर आक्रमण करना था, जो एक गहरे नाले के किनारे सीधी ढलवा पहाड़ी पर स्थित था । मेजर बरार एक जूनियर कमीशन्ड अफसर और एक सैनिक को साथ लेकर आगे बढ़े, और उधर दूसरे दल को भी उसी समय नाले के साथ-साथ आगे बढ़ना था । आक्रमण करने वाला दल सीधे कैम्प में जा घुसा और विरोधियों को स्तंभित कर दिया । जैसे ही विरोधियों के सन्तरी ने गोली बारी शुरू की, मेजर बरार ने अपनी स्टेन मशीन गन से गोलियां चलाते हुए कैम्प पर धावा बोल दिया । शीघ्र ही दूसरे दल ने भी गोली चला दी और विरोधी अपने पीछे काफी मात्रा में हथियार और गोलाबारूद तथा मूल्यवान दस्तावेज छोड़कर भाग गए । आक्रमण के दौरान मेजर बरार की बांयी टांग में चोट लगी जबकि एक भागते हुए विरोधी ने अपनी ओर से इन पर आक्रमण कर दिया था ।

इस कार्रवाई में मेजर जगरूप सिंह बरार ने अनुकरणीय साहस, दृढ़ संकल्प और उत्कृष्ट नेतृत्व का परिचय दिया ।

11. जी/113970 पाइनियर साबू डेविड,
जनरल रिज़र्व इंजीनियर फोर्स ।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—16 नवम्बर, 1973)

16 नवम्बर, 1973 की रात को लगभग 11 बजकर 15 मिनट पर जब पाइनियर साबू डेविड सन्तरी ड्यूटी पर था, तो भयानक हथियारों से लैस दो विरोधी नागाओं की इनसे मुठभेड़ हो गई। विरोधियों ने इन्हें धमकी दी कि यदि इन्होंने अपने कमांडिंग अफसर का अता पता यूनिट में रखे हथियार, गोलाबारूद और नकदी का सही ठिकाना नहीं बताया तो इन्हें जान से मार दिया जाएगा । निहत्थे पाइनियर साबू डेविड ने, उन्हें कोई बात नहीं बताई और उल्टे उनसे भिड़ गए और जोर से चिल्लाए । इस दौरान विरोधियों ने पाइनियर साबू डेविड को गम्भीर रूप से घायल कर दिया था। और वे अन्य सन्तरियों को आते देख निकट के जंगल में भाग गए । इस प्रकार पाइनियर साबू डेविड की साहसपूर्ण कार्रवाई और उनका सामना करने से इन्होंने अपनी यूनिट की नकदी, हथियार गोलाबारूद तथा अन्य सामान को विरोधियों द्वारा लूटने से बचा लिया ।

इस कार्रवाई में, पाइनियर साबू डेविड ने अनुकरणीय साहस, दृढ़-संकल्प तथा उत्कृष्ट कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

12. जी० ओ०-1018 सिविलियन अफसर ग्रेड III,
अतीन्द्र नाथ गुहाठाकुर्ता, **(मरणोपरान्त)**
जनरल रिज़र्व इंजीनियर फोर्स ।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—1 दिसम्बर, 1973)

1 दिसम्बर, 1973 को श्री अतीन्द्र नाथ गुहाठाकुर्ता, जनरल रिज़र्व इंजीनियर फोर्स के सिविलियन अफसर, लुंगलेह खजाने से सीमा सड़क कृतिक दल के मुख्यालय के लिये सशस्त्र गारद के साथ एक गाड़ी में लगभग 4.5 लाख रुपए की नकदी ले जा रहे थे । रास्ते में मिज़ो विरोधियों ने गाड़ी पर आक्रमण कर दिया । यद्यपि श्री गुहाठाकुर्ता विरोधियों द्वारा नजदीक से चलायी गई हल्की मशीन गन की गोलियों से गम्भीर रूप से घायल हो चुके थे, जिससे बाद में उनकी मृत्यु हो गई, इन्होंने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए रक्षक दल को आदेश दिया कि हर हालत में नकदी की रक्षा करें और उन्हें बचाने की चिन्ता छोड़ दें । इनकी इस वीरोचित कार्रवाई के परिणामस्वरूप अन्ततः नकदी बचा ली गई ।

इस प्रकार श्री अतीन्द्र नाथ गुहाठाकुर्ता ने अनुकरणीय साहस, दृढ़-संकल्प, और उत्कृष्ट कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

13. 181883 राइफलमैन कर्ण बहादुर गुरुंग,
असम राइफल्स।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि 1—दिसम्बर, 1973)

राइफलमैन कर्ण बहादुर गुरुंग उस अनुरक्षक दल के एक सदस्य थे जिसे 1 दिसम्बर, 1973 को लुंगलेह से 23 मील दूर पावीपुई तक ले जाने वाली नकदी के साथ जाना था। नकदी सीमा सड़क यूनिट की थी और उसे स्टील के बक्से में बन्द करके एक जोंगा में रखा गया था। अनुरक्षक दल का कमांडर तथा 3 अन्य सैनिक जोंगा में बैठ गए, जबकि राइफलमैन कर्ण बहादुर गुरुंग 11 अन्य कार्मिकों के साथ 1 टन वाली अनुरक्षक गाड़ी में जा रहे थे। 1 दिसम्बर, 1973 को 3.00 बजे अपराह्न लुंगलेह छोड़ने के बाद, इस दल ने अभी लगभग 7 मील ही का फासला तय किया था कि सड़क के दोनों ओर कुछ ऊंचाई से विरोधियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जोंगा में सवार अनुरक्षक दल के कमांडर ने उनकी ओर अपनी हल्की मशीनगन साधी और जवाब में जोरदार फायर शुरू कर दिया। विरोधियों के ठिकानों के ठीक नीचे जोंगा रुक गई थी। उस समय तक जोंगा में सवार तीन व्यक्ति थे जो गम्भीर रूप से घायल हो चुके थे या किसी योग्य न रह पाये थे। अनुरक्षक दल के कमांडर जोंगा से बाहर कूद गए और एक नाली में पोजीशन ले ली और उन्होंने विरोधियों को जोंगा के पास जाने से रोकने का प्रयास किया। इसी बीच जोंगा की रक्षा करने वाली गाड़ी सड़क से हट गई और खड्ड में जा गिरी। गाड़ी में सवार सैनिक या तो घायल हो चुके थे, या बुरी तरह घबरा गये थे। ड्राइवर भी घबरा गया था और गाड़ी पर अपना नियन्त्रण खो चुका था। राइफलमैन कर्ण बहादुर गुरुंग गाड़ी से बाहर कूद पड़े और उन्होंने सड़क की बायीं ओर अपनी हल्की मशीनगन के साथ पोजीशन ले ली। एक अन्य राइफलमैन इनके पीछे आ गया और उसने भी इनके बायीं ओर अपनी पोजीशन ले ली। उन्हें ऊंचे स्थान पर बैठे विरोधियों को उलझाए रखने को कहा गया और राइफलमैन कर्ण बहादुर गुरुंग दोनों ओर नजर रखे रहे जिससे नकदी के पास आने वाले विरोधियों को रोके रखा जा सके। जब विरोधियों ने जवाब में भारी फायर शुरू कर दिया तो इन्होंने अपनी पोजीशन बदली और विरोधियों को उलझाये रखा। इनके दृढ़तापूर्वक भिड़े रहने से विरोधियों का मनोबल टूट गया और वे अपना उद्देश्य छोड़ कर अन्धेरे में भाग निकले। इन्होंने ऊंचाई पर जाकर तब भागते हुए विरोधियों तथा जोंगा पर नजर रखी। राइफलमैन कर्ण बहादुर गुरुंग ने इस प्रकार विरोधियों द्वारा नकदी को लूटे जाने से बचा लिया।

इस कार्रवाई में राइफलमैन कर्ण बहादुर गुरुंग ने अनुकरणीय साहस, दृढ़-संकल्प तथा उत्कृष्ट सतर्कता का परिचय दिया।

14. श्री तोखोबि तुकू,
असिस्टेंट कमांडेंट,
सीमा सुरक्षा दल।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—31 दिसम्बर, 1973)

श्री तोखोबि तुकू ने नागालैण्ड में एक कुख्यात विरोधी नेता और उसके दल को पकड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इन्होंने अनेक अवसरों पर अपनी जानकी बाजी लगाकर छुपे विरोधियों पर छापा मारने वाले दस्तों का नेतृत्व किया। विरोधियों के विरुद्ध कार्रवाइयों की योजना बनाने और उन्हें संचालित करने में भी ये बड़े सहायक हुए जिसके फलस्वरूप भारी मात्रा में शस्त्रास्त्र और गोलाबारूद पकड़ा जा सका।

श्री तोखोबि तुकू ने हमेशा अनुकरणीय साहस, दृढ़-संकल्प और उत्कृष्ट नेतृत्व का परिचय दिया।

15. श्री बिहोई सेमा,
इन्स्पैक्टर,
सीमा सुरक्षा दल।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—31 दिसम्बर, 1973)

श्री बिहोई सेमा ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए विरोधी नागाओं के विरुद्ध अनेक सफल संक्रियाओं में और कुख्यात विरोधी नेता को पकड़ने में बहुमूल्य सहायता दी। उन्होंने विरोधियों के खिलाफ अनेक गश्ती दलों का नेतृत्व किया और उस क्षेत्र में जंगलों में फैले हुए बचे-खुचे प्रशिक्षित विरोधियों को पकड़ने में सहायक रहे।

इस प्रकार श्री बिहोई सेमा ने अनुकरणीय साहस, दृढ़-संकल्प और उत्कृष्ट नेतृत्व का परिचय दिया।

16. श्री जेकिया सेमा,
इंस्पैक्टर,
सीमा सुरक्षा दल।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—31 दिसम्बर, 1973)

श्री जेकिया सेमा ने विरोधी नागाओं के खिलाफ अनेक कार्रवाइयों के संचालन में बड़ी सहायता दी जिसके फलस्वरूप कई विरोधी और भारी मात्रा में शस्त्रास्त्र और गोला बारूद पकड़े जा सके। पूरी तरह से हथियारों से लैस एक कुख्यात विरोधी नेता को उसके गिरोह के 175 व्यक्तियों के साथ पकड़ने की योजना को कामयाब बनाने में श्री जेकिया सेमा बड़े सहायक रहे।

इस प्रकार श्री जेकिया सेमा ने अनुकरणीय साहस, दृढ़-संकल्प और उत्कृष्ट कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

17. 191025 नाइक न्यालू रेंगामा,
असम राइफल्स।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—31 जनवरी, 1974)

नाइक न्यालू रेंगामा विशेष गश्ती दल के सैकिन्ड इन कमांड थे, जिसे एक ऐसे कुख्यात विरोधी नेता को पकड़ने का काम सौंपा गया था जिसकी काफी समय से बड़ी तलाश थी। तादाद में गश्ती दल विरोधियों के गिरोह से काफी छोटा था। विरोधियों के गिरोह पर जब गश्ती दल ने हमला किया तो विरोधियों ने कमांडर पर आक्रमण कर दिया। यह देखकर

नाइक न्यालू रेंगामा ने तत्काल विरोधियों पर जोरदार धावा बोल दिया । एक को मार गिराया और अन्य विरोधी जंगल में भाग गए । इस वीरतापूर्ण कार्रवाई से नाइक रेंगामा ने न केवल अपने गश्ती दल के कमांडर की जान बचाई, जिसने की बाद में विरोधी नेता को पकड़ डाला, बल्कि विरोधियों को मार-भगाने में भी सहायक हुए जिससे वे अपने नेता को न बचा सके ।

इस प्रकार नाइक न्यालू रेंगामा ने अनुकरणीय साहस, पहल शक्ति, और उत्कृष्ट दृढ़-संकल्प का परिचय दिया।

18. जी/8125 डी० एम० ई० टीका राम,
जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स ।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—2 मई, 1974)

जी/8125 डी० एम० ई० टीकाराम को अप्रैल/मई, 1974 में मनाली-लेह सड़क पर बर्फ हटाने के काम पर लगाया गया था। इन्होंने रोहतांग दर्रे के बहुत निकट, जहां पर सामान्य तापमान शून्य से भी नीचे रहता है, जोखिमपूर्ण हिम-स्खलन स्थल पर काम किया । इन्होंने अत्यन्त जोखिमपूर्ण और एवं कठिन परि-स्थितियों में स्वेच्छा से 12 घंटे से ज्यादा काम किया जबकि उस क्षेत्र में कम दृष्टिगोचरता के कारण सामान्य कार्य समय 6 घंटे का ही रखा गया है। यह उनका दृढ़ संकल्प और पक्का इरादा ही था जिससे प्रेरित हो उन्होंने पांच दिन तक चलते रहने वाले अत्यन्त खतरनाक और भयंकर हिम झंझावत में काम किया। उनके अथक प्रयास, असाधारण कर्तव्यपरायणता और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा और आराम की बिल्कुल परवाह किये बिना काम करने के कारण ही सड़क बहुत थोड़े समय में ही यातायात के लिए खुल गई थी।

इस प्रकार डी० एम० ई० टीकाराम ने अनुकरणीय साहस, दृढ़ संकल्प और उत्कृष्ट कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

19. जे० सी० 61395 सूबेदार इन्द्र सिंह गुरुंग,
असम राइफल्स ।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—3 मई, 1974)

सूबेदार इन्द्र सिंह गुरुंग दर्नगांव में एक चौकी की कमान कर रहे थे । 30 अप्रैल, 1974 को उन्हें सूचना मिली कि विरोधियों का एक कैम्प हरतुलतलांग में है जो कि वहां से 55 किलोमीटर की दूरी पर लगभग 6,000 फुट की ऊंचाई पर था। तीव्र गति और चुपचाप तरीके से काम करने की जरूरत को देखते हुए, इन्होंने केवल रात्रि में ही उस ओर चल पड़ने का फैसला किया। इन्होंने अपनी चौकी से तत्काल 18 जवान इकट्ठे किये और संदिग्ध विरोधी कैम्प की ओर चल पड़े । रात-रात में ही गांवों से बचते-बचाते जंगल के रास्ते से बड़ी कठिनाई से निकलकर इनका दल 3 मई, 1974 को उस संदिग्ध स्थान पर पहुंच गया । विरोधियों का कैम्प सबसे ऊपर पहाड़ी पर स्थित था जहाँ पहुंचने के लिये खड़ी चढ़ाई चढ़नी थी । सूबेदार गुरुंग ने अपने दल को दो भागों में बांट दिया और विरोधियों को स्तम्भित करने के लिये उन्होंने आठ व्यक्तियों को साथ लेकर उन पर धावा बोलने की जोखिम उठाने का फैसला किया और शेष व्यक्तियों को पीछे छोड़ दिया।

कैम्प के निकट पहुंचने पर दल के सबसे आगे चलने वाले जवान ने विरोधियों को देखा जो भोजन पका रहे थे और अपने हथियारों को चट्टान के सहारे टिका रखा था । यह नहीं कहा जा सकता था कि कुछ अन्य विरोधी उस अहाते में इधर उधर न हों । विरोधियों को जीवित पकड़ने के विचार से, दल ने पोजीशन ले ली और सूबेदार गुरुंग और सबसे आगे जाने वाला जवान रेंगते हुए आगे बढ़े । इसी बीच दो विरोधियों की नजर उन पर पड़ गई । सूबेदार गुरुंग कूल्हे की स्थिति से गोलियां चलाते हुए बड़ी निर्भीकता के साथ तेजी से आगे बढ़े । इस मुठभेड़ में दो विरोधी मारे गए, और अन्य अपनी जान बचाने के लिए भाग गए और अपने पीछे शस्त्रास्त्र, गोला बारूद तथा कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज और चित्र छोड़ गए ।

इस कार्रवाई में, सूबेदार इन्द्र सिंह गुरुंग ने अनुकरणीय साहस, दृढ़-संकल्प और उत्कृष्ट नेतृत्व का परिचय दिया ।

20. जी/2461/डी० एम० ई० बहादुर सिंह,
जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स ।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—9 मई, 1974)

जी/2461 डी० एम० ई० बहादुर सिंह अप्रैल/मई, 1974 में मनाली-लेह सड़क पर रोहतांग दर्रा पर 13,000 फुट की ऊंचाई पर बर्फ साफ करने के काम पर लगे हुए थे । लगातार हिम झंझावात और कड़ी सर्दी की परवाह न करते हुए इन्होंने अपना काम पूरा किया । यद्यपि कम दृष्टिगोचरता के कारण कार्य-समय को छः घंटे से भी कम रखा गया था, फिर भी श्री बहादुर सिंह ने लम्बे समय तक शून्य से भी नीचे के तापमान में गहरी और नरम बर्फ में बिना किसी मार्गदर्शक के काम किया । इनके द्वारा किया गया काम उनसे अपेक्षित सामान्य काम से कहीं अधिक था ।

इस प्रकार डी० एम० ई० बहादुर सिंह ने अनुकरणीय साहस, दृढ़-संकल्प और उत्कृष्ट कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

21. जी/1504 डी० एम० ई० जोगिन्दर सिंह,
जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स ।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—9 मई, 1974)

जी/1504 डी० एम० ई० जोगिन्दर सिंह को अप्रैल/मई, 1974 में रोहतांग कोकसर सैक्टर में 13,000 फुट की उंचाई पर मनाली-सरचू सड़क पर बर्फ को साफ करने के काम पर लगाया गया था । उस क्षेत्र में बर्फ 40 फुट से अधिक गहरी थी और तापमान शून्य से 10 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे चला गया था । श्री जोगिन्दर सिंह जिस डोजर को चला रहे थे वह खराब हो गया । डोजर को नीचे मरम्मत के लिए लाने की बजाय उन्होंने वहीं ठहरकर दुहरी पारी में एक और डोजर पर काम करने का फैसला किया ताकि जो समय मशीन के बिगड़ जाने के कारण नष्ट हो गया, उसको पूरा किया जा सके । श्री जोगिन्दर सिंह जब दुहरी पारी पर ड्यूटी कर रहे थे तो उन्हें रात को देर तक अत्यधिक सर्दी में गहरी नरम बर्फ में बिना किसी मार्गदर्शक के, हिम-स्खलन पर काम करना पड़ा । उनके द्वारा स्वेच्छा से किया गया काम उनकी सामान्य ड्यूटी से बाहर होने के

कारण प्रशंसनीय था। उनके अथक प्रयत्न से ही रोहतांग दर्रा यातायात के लिए बहुत कम समय में ही खुल गया।

इस प्रकार डी० एम० ई० जोगिन्दर सिंह ने अनुकरणीय साहस, दृढ़-संकल्प और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

22. 1436216 सैपर दर्शन सिंह, (मरणोपरांत)
इंजीनियर रैजिमेंट।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—18 मई, 1974)

सैपर दर्शन सिंह जब एक इंजीनियर रैजिमेंट के साथ कार्य कर रहे थे, तब उन्हें एक अति महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया था। उन्होंने बड़े धैर्य, दृढ़-संकल्प और कर्त्तव्यपरायणता, के साथ कार्य शुरू किया और निर्धारित समय के भीतर उसे पूरा करने के लिए सतत प्रयास किये। इस काम को करते हुए उन्हे घातक चोट आयी और इस प्रकार उन्होंने एक महान बलिदान किया।

सैपर दर्शन सिंह ने अनुकरणीय साहस, दृढ़-संकल्प और उत्कृष्ट कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

23. 3368983 सिपाही जसवंत सिंह,
सिख रेजिमेंट।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—20 मई, 1974)

सिपाही जसवंत सिंह उस दल के सदस्य थे जिस को नागा विरोधियों के छुपाव स्थान का पता लगाने और उस पर छापा मारने का काम दिया गया था। दल को तीन भागों में बांट दिया गया था और छः स्टाप की योजना बनाई गई थी। दल दबे पांव दुर्गम मार्ग से सघन झाड़ियों से गुजरता हुआ 20 मई, 1974 को प्रातः वहां पहुंचा और उसने अपना मोर्चा संभाल लिया और एक निर्धारित समय पर धावा बोलने की योजना बनाई। किन्तु एक विरोधी की, जो अनेक बार पकड़े जाने से बच गया था, अप्रत्याशित और चकमा देने वाली वृत्ति के बारे में मालूम हो जाने पर निर्धारित समय से पूर्व ही विरोधियों पर धावा बोल दिया गया। धावा बोलने वाले तीनों दल एक साथ आगे बढ़े और धीरे-धीरे छुपाव स्थान तक पहुंच गए और केवल एक नाला ही बीच में था। बाईं ओर के सैनिकों को नाला पार करने का आदेश दिया गया। उसी समय अचानक तीन विरोधी छुपाव स्थान से भागे। दल के कमांडर ने गोली चलाने का आदेश दिया और भागने वालों में से एक विरोधी घायल हो गया, और बच निकलने के प्रयास में नाले में कूद पड़ा। सिपाही जसवंत सिंह एक क्षण का भी विलम्ब किए बिना उसकी ओर झपटे, उसे दबोचा और मार दिया।

इस कार्रवाई में सिपाही जसवंत सिंह ने अनुकरणीय साहस, दृढ़-संकल्प और उत्कृष्ट-सतर्कता का परिचय दिया।

24. जी/21198 एम० टी०/ड्राइवर करतार सिंह,
जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स। (मरणोपरांत)

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—6 जून, 1974)

6 जून, 1974 को सड़क निर्माण कम्पनी के एम० टी० ड्राइवर करतार सिंह को अपने सैक्टर इनचार्ज और अन्य कर्मचारियों को उत्तरी सिक्किम में मरम्मत किए जा रहे मौजूदा पहाड़ी मार्ग से होते हुए चुंगथांग से लाचुंग ले जाने का काम सौंपा गया था। जब ड्राइवर करतार सिंह एक नुकीले और खड़ी चढ़ाई वाले मोड़ को पार कर रहे थे तो अचानक उनकी गाड़ी खराब हो गई और उसके गियर और ब्रेक दोनों फेल हो गए और गाड़ी ने अचानक पीछे सीधी ढलाई की ओर पीछे हटना आरम्भ कर दिया। काफी कोशिशों के बावजूद एम० टी० ड्राइवर करतार सिंह न तो गाड़ी को नियंत्रण में ला सके और न उसे रोक ही पाये। यह देखकर कि गाड़ी नीचे की ओर लुढ़क रही है और उनका जीवन खतरे में है, उन्होंने अपनी सूझ-बूझ नहीं खोई और अन्य यात्रियों से चिल्ला कर कहा कि वे अपना जीवन बचाने के लिए गाड़ी से कूद जायें। यह वीर और कर्त्तव्यपरायण ड्राइवर सरलता से गाड़ी से कूद कर अपनी जान बचा सकता था, किन्तु गाड़ी को बचाने और अन्य यात्रियों की जीवन रक्षा के लिए वे अपनी जान पर खेल गए।

इस प्रकार एम० टी० ड्राइवर करतार सिंह ने अनुकरणीय साहस, दृढ़ संकल्प और उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

कृ० बालचन्द्रन,
राष्ट्रपति के सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 30 अप्रैल 1975

सं० यू०-13019/7(i)/75-ए० एन० एल०—भारत सरकार के गृह मंत्रालय की तारीख 3 सितम्बर, 1974 की अधिसूचना सं० यू०-13019/9(iii)/74-ए० एन० एल० में आंशिक आशोधन करते हुए, राष्ट्रपति, यह निदेश देते है कि उक्त अधिसूचना में आए अंक और शब्द "31 मार्च, 1975 के स्थान पर "30 जून, 1975" पढ़ा जाए।

सं० यू०-13019/7(ii)/75-ए० एन० एल०—भारत सरकार के गृह मंत्रालय की तारीख 3 सितम्बर, 1974 की अधिसूचना सं० यू०-13019/9(iv)/74-ए० एन० एल० में आंशिक आशोधन करते हुए, राष्ट्रपति, यह निदेश देते है कि उक्त अधिसूचना मे आए अंक और शब्द "31 मार्च, 1975 के स्थान पर "30 जून 1975" पढ़ा जाए।

के० के० गुप्त, उप सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 अप्रैल 1975

सं० क्यू०/पी० बी०/611/14/74—29-6-74 के भारत राजपत्र में विदेश मंत्रालय की अधिसूचना सं० क्यू०/पी० बी०/611/5/74 दिनांक 22-6-74 के अन्तर्गत प्रकाशित भारतीय विदेश सेवा (ख) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा 1975 की नियमावली का शुद्धि पत्र:—

(1) नियमावली का नियम 4 नीचे लिखे अनुसार पढ़ा जाय :

"कोई भी भारतीय विदेश सेवा 'शाखा 'ख' का स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त अस्थायी

अधिकारी जो सामान्य संवर्ग के वर्ग 4 का हो या बीजांक उपसंवर्ग के वर्ग-II का हो या आशुलिपिकों के उप संवर्ग के वर्ग II का हो, यदि 1 जनवरी 1975 को नीचे दी गयी शर्तों को पूरा करता है तो परीक्षा मे सम्मिलित होने का पात्र होगा :—

(1) **सेवा की अवधि** : उसने भारतीय विदेश सेवा शाखा (ख) की किसी एक अथवा जैसी कि स्थिति हो नीचे दिये हुए उस सेवा के एक से अधिक पदो पर कम से कम पांच वर्ष की अनुमोदित तथा क्रमिक सेवा की हो—यथा :

(i) सामान्य संवर्ग का वर्ग 4

(ii) बीजांक उपसंवर्ग का वर्ग II,

(iii) आशुलिपिको के उप संवर्ग का वर्ग II

(2) आयु: (क) वह 45 वर्ष की आयु से अधिक का न हो अर्थात उसका जन्म 1 जनवरी, 1930 से पहले का न हो।

(ख) ऊपर जो आयु सीमा निर्धारित की गयी है उसमें छूट दी जा सकती है।

(i) अधिक से अधिक पांच वर्ष तक की यदि प्रत्याशी अनुसूचित जन जाति का हो,

(ii) अधिक से अधिग तीन वर्ष तक की यदि प्रत्याशी पुराने पूर्वी पाकिस्तान का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति है और 1 जनवरी 1964 को या उसके बाद लेकिन 25 मार्च, 1971 से पहले भारत मे देशातरित हो गया हो।

(iii) अधिक से अधिक आठ वर्ष तक की यदि प्रत्याशी अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का है और पुराने पूर्वी पाकिस्तान का वास्तविक विस्थापति व्यक्ति भी है और 1 जनवरी 1965 को या उसके बाद लेकिन 25 मार्च, 1971 से पहले भारत मे देशांतरित हो गया हो।

(iv) अधिक से अधि तीन वर्ष की तक यदि प्रत्याशी पाण्डिचेरी के संघ प्रशाशित क्षेत्र का निवासी है और किसी भी स्तर पर फ्रेंच पर के माध्यम से शिक्षा पायी है,

(v) अधिक से अधिक तीन वर्ष तक की यदि प्रत्याशी गोआ दमन दीव, के संघ प्रशासित क्षेत्र का निवासी है,

(vi) अधिक से अधिक तीन वर्ष तक की यदि प्रत्याशी श्रीलंका (पहले जिसे सीलोन कहते थे) का वास्तवित देश प्रत्यावर्तित है और बाद भारत में 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद अक्तूबर, 1964 के श्रीलंका के समझौते के अंतरगत देशान्तरित हुआ है।

(vii) अधिक से अधिक आठ वर्ष तक की यदि प्रत्याशी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है और श्रीलंका (पहले जिसे सीलोन कहते थे) का वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भी है और 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद अक्तूबर, 1974 के के भारत श्रीलंका समझौते के अन्तर्गत भारत में देशान्तरित हुआ है

(viii) अधिक से अधिक तीन वर्ष तक की--यदि प्रत्याशी भारतीय मूल का है और कीनिया उगांडा और तन्जीनियां, संयुक्त गणराज्य (पहले टंगानिका और जंजीबार) देश से प्रत्यावर्तित हुआ है।

(ix) अधिक से अधिक तीन वर्ष की यदि प्रत्याशी भारतीय मूल का वर्मा देश से प्रत्यावर्तित है और 1 जून 1963 को या उसके बाद भारत में देश प्रत्यावर्तित हुआ है।

(x) अधिक से अधिक आठ वर्ष तक यदि प्रत्याशी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है और भारतीय मूल का बर्मा से देश प्रत्यावर्तित दी है और 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत में देश प्रत्यावर्तित हुआ है,

(xi) रक्षा सेना कार्मिकों के लिये तीन से अधिक वर्ष तक की जो किसी अन्य देश के साथ युद्ध के दौरान या हलचल वाले प्रदेश में विकलांग हुए हैं और उसके परिणामस्वरूप सेना से छूटे हों

(xii) रक्षा सेना कार्मिकों के लिये अधिक से अधिक आठ वर्ष की जो किसी अन्य देश के साथ युद्ध के दौरान हलचल वाले प्रदेश में विकलांग हुए हों और उसके परिणामस्वरूप सेना सेवा से छूटे हों और जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के हों।

ऊपर दी गयी स्थितियों को छोड़कर और किसी भी दशा में आयु सीमा में छूट नही दी जाएगी।

नोट-1 :

सामान्य संवर्ग के वर्ग के या बीजांक उप संवर्ग के वर्ग II के या आशुलिपिकों के उप संवर्ग के वर्ग II के अधिकारी, जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से बाह्य संवर्ग पदों पर प्रतिनियुक्त है, इस परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे यदि वे अन्य प्रकार से पात्र है। लेकिन यह उस व्यक्ति के लिए

लागू नहीं होगा जो किसी बाह्य संवर्ग पद पर या दूसरी सेवा में स्थानांतरण पर नियुक्त है और भारतीय विदेश सेवा 'शाखा 'ख' के किसी पद पर उसका 'लियन' नहीं है।

नोट-2

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक, सेवा के आशुलिपिक जो भारतीय विदेश सेवा 'शाखा 'ख' में प्रतिनियुक्त है वे इस परीक्षा में प्रवेश के पात्र नही होंगे।

(2) नियमावली का नियम II नीचे लिखे प्रकार से पढ़ा जाय :

"कोई प्रत्याशी, जो इस परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करने के बाद या परीक्षा में सम्मिलित होने के बाद भारतीय विदेश सेवा वर्ग 'ख' के सामान्य संवर्ग के वर्ग/बीजांक उप संवर्ग के वर्ग II /आशुलिपिक आशुलिपिकों के उप संवर्ग के वर्ग II की नियुक्ति से त्याग पत्र दे देता है या अन्य अन्य किसी प्रकार से सेवा छोड़ देता है या उससे अपना संबंध तोड़ देता है या उसके विभाग द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं या जो स्थानांतरण पर किसी बाह्य संवर्ग पद पर या किसी अन्य सेवा में नियुक्त हो और भारतीय विदेश सेवा 'ख' के किसी पद पर उसका 'लिअन' नहीं है तो वह परीक्षा के परीक्षा फल के आधार पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

लेकिन यह उस व्यक्ति के लिए लागू नहीं होगा जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से प्रतिनियुक्ति पर किसी बाह्य व संवर्ग पद पर नियुक्त है।"

आई० पी० चोपड़ा, अवर सचिव

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 अप्रैल 1975

संकल्प

सं० आई० एस०-23011/8/75-एफ० एस० पी०—व्यक्तिगत खपत, कृषि कार्यों, सड़क यातायात तथा लघु उद्योगों के लिए अपेक्षित पैट्रोलियम उत्पादों की वितरण व्यवस्था में सुधार करने की दृष्टि से भारत सरकार ने निम्नलिखित की जांच करने एवं उन पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक समिति गठित करने का निश्चय किया है:—

(i) मुख्य प्रतिष्ठानों, पाइपलाइनों के अन्तिम केन्द्रों तथा डिपो से फुटकर बिक्री केन्द्र तक पैट्रोलियम उत्पादों के वितरण हेतु व्यवस्थाएं।

(ii) फुटकर कार्य के विस्तार करने की आवश्यकता ताकि उत्पाद उपभोकता के, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक समीप जहां तक विपणन अर्थव्यवस्था अनुमति दे, पहुंच सके या उस उद्देश्य के लिए क्षेत्रीय संग्रह स्थानों को सुदृढ़ करना।

(iii) ग्रामीण और अर्धशहरी इलाकों में वास्तविक उपभोक्ता सहकारिताओं कृषि उद्योग निगमों कृषि सेवा केन्द्रों द्वारा फुटकर बिक्री केन्द्रों को क्या अधिक सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए।

(iv) विभिन्न भण्डार स्थलों पर वस्तुसूची का रखा जाने वाला स्तर जिससे नीचे माल खतम करने की अनुमति न दी जानी चाहिए और अप्रत्याशित कारणों के कारण जब जमा माल निम्न स्तर तक कर दिया जाता है के लिए, आवश्यक व्यवस्थाए।

(v) तेल कम्पनियों को राज्य सरकारों और उसकी एजेंसियो के साथ निकट सम्पर्क रखने के लिए क्षेत्रीय अग्रणी कम्पनियों के रूप मे नियुक्त करने की विधि ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके की सप्लाई पर्याप्त मात्रा मे हो रही है और मिट्टी के तेल, एच० एस० डी, एल० डी० ओ० के सदृश उपभोक्ता उत्पादों का वितरण उचित आधार पर हो रहा और कदाचार की सम्भावनाएं दूर हो गई हैं।

(vi) तेल कम्पनियों द्वारा किया गया क्षेत्रीय पर्यवेक्षण और ऐसे पर्यवेक्षण को गहन करने एवं उसमें सुधार करने के लिये आवश्वक उपाय, ताकि उपभोक्ताओं की शिकायत शीघ्र निपटाई जा सके।

(vii) ऐसे आवश्यक उपाय जिनसे ऊपर के खर्चों, परिवहन, आवागमन में किफायत हो सके और उपभोक्ता मूल्यों मे उनका आकस्मिक अन्य खर्च कम किया जा सके।

(viii) कोई आनुसंगिक अथवा सम्बन्द्ध मामले।

2. समिति राज्य सरकारों के विचारों का पता लगायेगी तथा उन विचारों एवं ऐसे अन्य सम्बंधित हितों जो अपेक्षित समझा जाये, पर विचार करेगी। समिति किसी भी बैठक मे उपस्थित होने के लिए आवश्यक समझे गये व्यक्तियों को भी आमंत्रित कर सकती है।

3. समिति का गठन निम्न प्रकार किया जायेगा :

(1) श्री के० आर० दामले, केंद्रीय लोक सेवा आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष। — अध्यक्ष

(2) श्री सी० आर० दास गुप्ता अध्यक्ष, इंडियन आयल कारपोरेशन लि०।

(3) श्री एस० कृष्णास्वामी, अध्यक्ष हिन्दुस्तान पैट्रोलियम निगम।

(4) श्री कमलजीत सिंह प्रबंधक निदेशक एसोसियेटेड सीमेंट कम्पनीज लि०।

(5) श्री ए० पी० शर्मा, प्रबन्धक निदेशक इंडो-बर्मा पैट्रोलियम।

4. श्री टी० कुमारन, महा प्रबन्धक (विपणन) भारतीय तल निगम, समिति के सचिव होंगे। समिति द्वारा अपक्षित सारी सचिवालय सहायता भारतीय तेल निगम के विपणन प्रभाग द्वारा दी जायेगी।

5. समिति का मुख्यालय बम्बई मे होगा।

6. समिति की बैठकें अध्यक्ष द्वारा उचित समझे जाने वाले स्थानों पर होती रहेंगी और वह अपनी रिपोर्ट सरकार को 15 मई 1975 तक प्रस्तुत करेगी। मुख्य रिपोर्ट मे न आने वाले विषयों पर अनुपूरक रिपोर्ट 30 जून, 1975 से पहले प्रस्तुत की जाएगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत सरकार के सभी मन्त्रालयो , सभी राज्य सरकारों, प्रधानमंत्री सचिवालय, मंत्रीमंडल सचिवालव, राष्ट्रपति के सचिव, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक महालेखाकार वाणिज्य, निर्माण तथा विविध और महालेखाकार केन्द्रीय राजस्व को सूचित किया जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प सामान्य जानकारी हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

सी० बेंकटरमणि, संयुक्त सचिव

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 अप्रैल 1975

सं० 6-1/71-सीमेन्ट—भारत सरकार एतद्द्वारा भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के संकल्प सं० 6/1/71-सीमेन्ट दिनांक 7 मार्च, 1972 में भारत सरकार द्वारा गठित एस्वेस्टोंस सीमेन्ट प्रोडक्टस इंडस्ट्री की नामिका के सदस्य सचिव के रूप में श्री एस० के० बासु, विकास अधिकारी के कार्य में परिवर्तन हो जाने की दृष्टि से उनके स्थान पर (i) श्री एस० आर० खन्ना, विकास अधिकारी को और (ii) मैसर्स एस्वेस्टोंस सीमेन्ट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री ए० जे० आस्टिन के स्थान पर मैसर्स एस्वेस्टोंस सीमेन्ट लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक, डा० ए० जे० पी० सम्भरवाल को नियुक्त करती है और उक्त संकल्प में निम्नलिखित संशोधन करने का निदेश देती है:—

उक्त संकल्प में वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये:—

'सदस्य सचिव शीर्ष' के अन्तर्गत

श्री एस० आर० खन्ना,
विकास अधिकारी,
एस्वेस्टोंस एण्ड सीमेन्ट प्रोडक्ट्स निदेशालय,
तकनीकी विकास का महानिदेशालय,
नई दिल्ली।

'सदस्य' शीर्ष के अन्तर्गत

(1) डा० ए० जे० पी० सम्भरवाल,
प्रबंध निदेशक,
एस्वेस्टोंस सीमेन्ट लिमिटेड,
बम्बई ।

बी० के० कपूर, उप सचिव

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय
(पैट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 अप्रैल 1975

संकल्प

सं० आई० एस० 25011/1/74-सप्लाई, संकल्प सं० एस० 17011/12/72 सप्लाई—दिनांक 31 अक्तूबर, 1973 द्वारा, भारत सरकार ने दो पैनल बनाए हैं जिसमें पहला विभिन्न आकारों के नए उद्यमकों के बेस स्टाक के आवंटन के संबंध में आवेदन पत्रों पर विचार करने के लिए तथा दूसरा नये एवं पुराने उद्यमकर्ताओं तथा उत्पादक यूनिटों के बीच सम्भरण सामग्री के आवंटन के लिए होगा। इन दो पैनल्स की संरचना एवं शर्तें निम्नलिखित रूप में संशोधित की गई है:—

(1) विभिन्न आकार वाले नए उद्यमकों के बैस स्टाक के आवंटन के संबंध में आवेदनपत्रों पर विचार करने के लिए पैनल।

संरचना

1. श्री एम० कुरियन सलाहकार (शोधनशालाएं) पैट्रोलियन और रसायन मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली। — अध्यक्ष
2. श्री पी० के० गोयल, प्रभागाध्यक्ष भारतीय तेल निगम लि० (अनुसंधान तथा विकास केन्द्र) सैक्टर 13, फरीदाबाद। — सदस्य
3. श्री एच० के० मूलचन्दानी अध्यक्ष प्रायोजना प्रभाग, भारतीय पैट्रोलियम संस्थान 19 रिंग रोड़, लाजपत नगर नई दिल्ली-24। — सदस्य
4. श्री के० कृष्णन प्रबन्धक, ल्यूबस स्पेशलटीज हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम लि० 17 जमशेदजी टाटा रोड़, बम्बई। — सदस्य

(2) समस्त नए एवं पुराने उद्यमकर्ताओं तथा विनिर्माण एककों को सम्भरण सामग्री के आवंटन का पैनल।

संरचना

1. श्री एम० कुरियन सलाहकार (शोधनशालाएं) पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली। — अध्यक्ष
2. श्री एस०एम० सक्सेना प्रबन्धक, विशेष प्रायोजनाएं (ल्यूबी कन्टस) विपणन प्रभाग भारतीय तेल निगम 254 सी० डा० ऐनी बेसन्ट रोड़ प्रभादेवी, बम्बई-26 डी० डी०। — सदस्य
3. श्री एच० के० मूलचन्दानी अध्यक्ष प्रायोजनाएं प्रभाग भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, 19 रिंग रोड़, लाजपत नगर नई दिल्ली-24। — सदस्य
4. श्री के० कृष्णन प्रबन्धक, ल्यूबस स्पेशलटीज हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम लि० 17 जमशेदजी टाटा रोड़, बम्बई। — सदस्य

ये पैनल विभिन्न निर्माणकर्ताओं के बीच माइक्रोक्रिस्टेलीन वैक्स के वितरण का भी ध्यान रखेंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संशोधन भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, सभी राज्य सरकारों प्रधान मंत्री सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसद सचिवालय राष्ट्रपति के निजी एवं सैनिक सचिव, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक तथा महालेखाकार केन्द्रीय राजस्व को सूचित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प में संशोधन सामान्य जानकारी हेतु भारत के राजपत्र मे प्रकाशित किया जाए।

एस० के० ओझा, अवर सचिव

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली दिनांक 29 अप्रैल 1975

संकल्प

सं० एफ० 7-2(3)/74-डेस्क-I (भाषा)—हिन्दी शिक्षा समिति का पुनर्गठन इस मंत्रालय के संकल्प सं० एफ० 1-8/71-हिन्दी, दिनांक 21 जून, 1972 द्वारा किया गया था जिसे संकल्प सं० एफ० 1-8/71-हिन्दी, दिनांक 4 सितम्बर, 1973 सं० एफ० 7(2)/1/74-डैस्क-1(भाषा), दिनांक 18 जून, 1974 तथा सं० एफ० 7-2(1)/74-डैस्क-I (भाषा), दिनांक 29 अगस्त, 1974 द्वारा संशोधित किया गया था। पुनर्गठित समिति का कार्यकाल समाप्त होने पर समिति का आगे निम्न-प्रकार पुनर्गठन किया जाता है:—

(1) **गठन**

1. शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री — अध्यक्ष
2. राज्य मंत्री (शिक्षा विभाग) . . — प्रथम उपाध्यक्ष
3. हिन्दी के कार्यभारी उपमंत्री (शिक्षा विभाग) — द्वितीय उपाध्यक्ष
4. अध्यक्ष लोक सभा द्वारा नामित चार सदस्य — सदस्य
   (1) श्री चकलेश्वर सिंह
   (2) डा० जे० एस० मेलकोट
   (3) श्री शिवकुमार शास्त्री
   (4) श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा
5. अध्यक्ष राज्य सभा द्वारा नामित दो सदस्य . — सदस्य
   (1) श्री कमलनाथ झा
   (2) श्री इन्द्रदीप सिन्हा
6. शिक्षा सचिव . . . — सदस्य
7. भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार . — सदस्य
8. शिक्षा विभाग में भाषाओं के कार्यभारी संयुक्त सचिव/संयुक्त शिक्षा सलाहकार — सदस्य
9. अध्यक्ष, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग। — सदस्य
10. अध्यक्ष, केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मण्डल, आगरा। — सदस्य
11. अहिन्दी भाषी राज्यों की सरकारों द्वारा नामित एक एक प्रतिनिधि। — सदस्य
12. निम्नलिखित स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं का एक-एक प्रतिनिधि — सदस्य
    (1) अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ, नई दिल्ली।
    (2) दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास
    (3) हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद
    (4) राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा
    (5) मणिपुर हिन्दी परिषद्, इम्फाल
13. तीन प्रमुख हिन्दी विद्वान . . — सदस्य
    (1) प्रो० लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद
    (2) श्री मुजीब रिजवी, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली
    (3) डा० एन० नागप्पा, हिन्दी के भूतपूर्व प्रोफेसर मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर।
14. भाषा विज्ञान के दो विशेषज्ञ
    (1) डा० एस० के० वर्मा भाषा विज्ञान के प्रोफेसर, अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं का केन्द्रीय संस्थान, हैदराबाद। — सदस्य
    (2) प्रो० मसूद हुसैन उपकुलपति जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली।
15. शिक्षा विभाग में हिन्दी के कार्यभारी, निदेशक/ उप सचिव/ उप शिक्षा सलाहकार स्थाई रूप से आमन्त्रित — सदस्य सचिव
    (1) अवैतनिक परामर्श दाता वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग/शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय।
    (2) निदेशक केन्द्रीय हिन्दी संस्थान आगरा
    (3) अपर निदेशक-केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय नई दिल्ली।

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में प्रथम उपाध्यक्ष समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। अध्यक्ष और प्रथम उपाध्यक्ष दोनों के अनुपस्थित होने की दशा में द्वितीय उपाध्यक्ष समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।

2. **कार्यकाल**

समिति के सदस्यों का कार्यकाल सामान्यत : 31 दिसम्बर, 1977 तक होगा, किन्तु:—

(1) धारा 4 और 5 के अन्तर्गत नामित सदस्य, संसद का सदस्य न रहने पर समिति का सदस्य नहीं रहेगा।

(2) समिति के पदेन सदस्य तब तक सदस्य बने रहेंगे जब तक कि ये उस पद पर कार्य करते रहें जिस के आधार पर उन्हें समिति की सदस्यता दी गई है।

(3) अन्य मनोनीत सदस्य भारत सरकार की इच्छा अनुसार ही अपने-अपने पदों पर कार्य करेंगे।

(4) यदि किसी सदस्य के त्याग पत्र, मृत्यु आदि के कारण समिति में कोई स्थान रिक्त होता है तो उस रिक्त स्थान पर नियुक्त किया गया सदस्य 3 वर्ष की शेष अवधि तक कार्य करता रहेगा।

3. कोरम (गणपूर्ति)

समिति के बैठकों के लिए कोरम समिति के कुल सदस्यों का एक तिहाई होगा।

4. कार्य

समिति देश में हिन्दी के प्रचार और विकास के नीति संबंधी मामलों पर भारत सरकार को परामर्श देगी।

5. कार्यकारिणी उपसमिति

अपने विभिन्न कार्यों को प्रभावी रूप से चलाने के लिए समिति एक कार्यकारिणी उप समिति नियुक्त कर सकती है। साधारणतः इस उपसममिति में 15 सदस्य होंगे जो कि अध्यक्ष द्वारा नामित किये जायेंगे। समिति के प्रथम उपाध्यक्ष और उनकी अनुपस्थिति में द्वितीय उपाध्यक्ष उप-समिति के अध्यक्ष होंगे। उपसमिति के अध्यक्ष को उपसमिति के सदस्यों में से अथवा बाहर से ऐसे व्यक्तियों को सहयोजित करने का अधिकार होगा जिन्हें देश में हिन्दी के प्रचार और विकास की समस्याओं के संबंध में विशेष जानकारी और अनुभव प्राप्त हो।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी अहिंदी भाषी राज्यों, प्रधान मंत्री सचिवालय, संसद कार्य विभाग लोक सभा एवं राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय तथा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेज दी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प भारत सरकार के राजपत्र में सर्व-साधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाये।

सनत्कुमार चतुर्वेदी,
निदेशक (भाषाएं)

ऊर्जा मंत्रालय
(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 अप्रैल 1975

सं० 17011/26/74-सी० पी० सी०—दिनांक 26 दिसम्बर, 1974 के समसंख्यक संकल्प के अनुक्रम में भारत सरकार, पांचवीं व छठी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान इस्पात संयंत्रों को कोयला पूर्ति की योजनाओं की पुनरीक्षा समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 31 मई, 1975 तक के समय की स्वीकृति प्रदान करती है।

शरण बिहारी लाल
संयुक्त सचिव

निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक अप्रैल 1975

संकल्प

सं० क्यू० 13016/9/71-पी० एच० ई० खण्ड II (सी० यू० डब्ल्यू०)—स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) के दिनांक 6 मई, 1972 के संकल्प संख्या क्यू० 13016/9/71-पी० एच० ई० के पैरा 1 में इंदराज सं० 8 के स्थान पर निम्नलिखित इन्दराज प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

"8 निदेशक,
राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरी,
अनुसंधान संस्थान,
नागपुर।"

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प निम्नलिखित को भेजा जाए:—

1. लोक सभा सचिवालय।
2. राज्य सभा सचिवालय।
3. प्रधान मंत्री सचिवालय।
4. मंत्रिमण्डल सचिवालय।
5. योजना आयोग।
6. राष्ट्रपति के निजी तथा मिलिटरी सचिव।
7. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक।
8. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
9. सभी राज्य सरकारें तथा संघ क्षेत्र।
10. महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली।
11. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली।
12. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली।
13. राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, नागपुर।
14. अखिल भारतीय स्वास्थ्य-विज्ञान एवं लोक स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता।
15. नगरीय अपशिष्ट पर समिति के सभी सदस्य।

यह भी आदेश किया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

प्रकाश नारायण, उप सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 26th January 1975

No. 38-Pres./75.—The President is pleased to approve the award of the KIRTI CHAKRA for acts of conspicuous gallantry to :—

1. Major MOHINDER SINGH KADYAN (IC 10416)
Jat Regiment

(*Effective date of the award*—28th April 1973).

On 28th April, 1973, Major Mohinder Singh Kadyan was detailed as commander of an assault party during a raid on headquarters of a hostile Naga force. The assault was to start after the cut-off groups had taken up their positions on the flanks. As the cut-off groups were moving to their positions, the hostiles got alerted and immediately opened fire. Realising that the surprise had been lost and the hostiles might get away, Major Kadyan immediately ordered assault on the camp, even though the entire assault group had not yet formed up. As the assault party was rushing through the hostile camp, he saw a hostile firing at him from behind a tree. Firing from the hip position, he immediately charged on the hostile and shot him through the head. This heroic action not only prevented Naga hostiles from getting away, but also resulted in the death of four of their officers, including a self-styled Brigadier and the capture of arms, stores and useful documents.

In this action, Major Mohinder Singh Kadyan displayed gallantry and determination of a very high order.

2. Shri SWARN SINGH BOPARAI,
Deputy Commissioner, Ferozepore.

(*Effective date of the award*—26th November 1973).

On the night of 25th November, 1973, about 150 followers of one Baghel Singh, armed with automatic and other weapons, attacked the innocent people of village Alamgarh for their not owing allegiance to their leader. As a result, as many as 13 people were killed and 15 were seriously injured. After committing this heinous crime, the assailants escaped under the cover of darkness and were located by the police only on the following morning, near Railway Station Pakki. Finding themselves encircled by the Police, they took shelter in a farm-house with high boundary walls near village Qabarwala, As the situation was very tense and the culprits out-numbered the police force and were also well armed, the Army had also been alterted to assist the Civil authorities in overpowering them, if necessary. Shri Swarn Singh Boparai, Deputy Commissioner, Ferozepore, reached the spot exactly at a time when the two sides were ready for a bloody encounter.

Shri Swarn Singh Boparai volunteered to go alone un-armed and negotiate with the leaders of the gang so as to pursuade them to surrender to the police. During negotiations Shri Boparai, by his skill and tactfulness, was able to pursuade them to surrender to the police with arms and ammunition which included hand-grenades, sten-guns, rifles, pistols, guns, Kirpans, spears, knives and more than 4000 cartridges of various calibres.

In this action, Shri Swarn Singh Boparai displayed conspicuous courage, presence of mind and determination of a very high order.

3. Shri ZUHETO SWU, Commandant,
The Border Security Force.

(*Effective date of award*—31st December 1973).

Shri Zuheto Swu, Commandant of a battalion of the Border Security Force rendered very valuable assistance to the Border Security Forces in Nagaland. Since 1968, he has been constantly helping in the operations against the underground hostiles at very grave risk to his own life. He has also successfully located and led a number of raids on the hostile camps resulting in the capture of prisoners and recovery of a large number of weapons and ammunition. He has made significant contribution, disregarding his personal safety, in the capture of a gang of 175 well trained hostiles along with their leader.

Shri Zuheto Swu has thus displayed gallantry, initiative and devotion to duty of a very high order.

4. JC 190062 Naib Subedar KALYAN SINGH,
Assam Rifles.

(*Effective date of award*—31st January 1974)

Naib Subedar Kalyan Singh was detailed on a special patrol to apprehend a self-styled leader of the underground Mizo hostiles, who was known to have been operating in that area. The Security Forces had been after him for a long time. Naib Subedar Kalyan Singh and his men searched for and finally located the self-styled leader in a village and laid a trap for him. Inspite of the fact that Naib Subedar Kalyan Singh was outnumbered by the hostiles, he personally led the attack, wounded the hostile leader and then captured him. It was entirely due to him that one of the most notorious hostile leaders operating in that area was captured.

In this action, Naib Subedar Kalyan Singh displayed exemplary courage and determination of a very high order.

5. 5833405 Havildar JOGENDRA SINGH SEN, Vr.C.
The Gorkha Rifles.

(*Effective date of award*—24th April 1974).

Havildar Jagendra Singh Sen was a member of the patrol party, which was detailed to raid a camp of Naga hostiles, located in a thick jungle. On the night of 23rd/24th April 1974, the party, after trecking through thick forest over a difficult terrain during the dark cloudy night, reached the base from where only one uphill track led to the hostile camp. The track was also used by the Naga hostiles and was continuously covered by their sentry, whose exact post was not known. Havildar Jogendra Singh Sen and two other Ranks were detailed on the task of silencing this sentry. This task involved crawling stealthily over the steep gradient. Knowing fully well the danger to their lives, the party crawled up for twenty minutes before they found themselves face to face with an armed hostile behind a stone sangar. One of the party leapt upon the sentry, when the hostile opened up fire from the camp nearby.

Undeterred and without waiting for the raiding column, Havildar Sen, firing from his sten gun, charged along in the direction from which the fire came. He leapt upon a hostile and killed him. While the raiding party was still heading for the camp, he was relentlessly causing confusion in the camp. He killed one more hostile on the spot, and the other hostiles soon abandoned the camp and fled. Four serviceable weapons, ammunition, stores and valuable documents were captured.

In this action, Havildar Jogendra Singh Sen displayed gallantry, determination and devotion to duty of a very high order.

No. 39-Pres/75.—The President is pleased to approve the award of the SHAURYA CHAKRA for acts of gallantry to :—

1. Shri RABI RATTAN PATEL,
Security Guard,
Rourkela Steel Plant,
Orissa.

(*Effective date of the award*—28*th June* 1971)

The sub-store of the Steel Melting Shop of the Rourkela Steel Plant was attacked by a group of 4-5 criminals, armed with daggers, at about 2.20 A.M. on the night of 27th/28th June, 1971. Shri Rabi Rattan Patel, Security Guard, raised an alarm and bravely resisted the criminals single handed for nearly 10 minutes. He received a number of stab injuries in different parts of his body. Subsequently, other workers of the Plant rushed to the spot and engaged the criminals. The brave fight put up by Shri Patel prevented the criminals from taking away any stores.

In this action, Shri Rabi Rattan Patel displayed exemplary courage, determination and devotion to duty of a high order.

2. Shri Paltan Singh, *(Posthumous)*
Village Tentposi, P.O. Uperbada,
District Mayurbhanj, Orissa

(*Effective date of the award*—28*th June* 1971)

The sub-store of the Steel Melting Shop of the Rourkela Steel Plant was attacked by a group of 4-5 criminals, armed with daggers, at about 2.20 A.M. on the night of 27th/28th

June, 1971. The Security Guard, Shri R. R. Patel of the Store resisted the criminals and received a number of stab injuries in different parts of his body. On hearing the attack, Shri Paltan Singh, Rigger, Mechanical Maintenance Office, ran to the spot along with Shri Shikarpur Sridhar Jois, Chargeman, and a few other workers. Shri Paltan Singh challenged the criminals in utter disregard to his personal safety. While trying to apprehend one of the culprits, Shri Paltan Singh was stabbed in the abdomen and later succumbed to his injuries. The brave fight put up by Shri Paltan Singh prevented the criminals from taking away any material.

In this action, Shri Paltan Singh displayed exemplary courage, determination and devotion to duty of a high order.

3. Shri SHIKARPUR SRIDHAR JOIS, (*Posthumous*)
Chargeman, Mechanical Maintenance Office,
Rourkela Steel Plant, Orissa.

(*Effective date of the award*—28*th June* 1971)

The sub-store of the Steel Melting Shop of the Rourkela Steel Plant was attacked by a group of 4-5 criminals, armed with daggers, at about 2.20 A.M. on the night of 27th/28th June, 1971. The Security Guard of the Store, Shri Rabi Rattan Patel, resisted the criminals and received a number of injuries. On receipt of information about the attack, Shri Shikarpur Sridhar Jois, Chargeman, Mechanical Maintenance Office, rushed to the spot along with Shri Paltan Singh and other workers. After seriously stabbing Shri Paltan Singh, the criminals tried to escape. While the criminals were running away, Shri Jois tried to catch them but he too was stabbed in the process and later he succumbed to his injuries. However, the brave resistance put up by Shri Jois prevented the criminals from taking away any material.

In this action, Shri Shikarpur Sridhar Jois displayed exemplary courage, determination and devotion to duty of a high order.

4. 8013568 Pioneer RAGHUBIR SINGH,
The Corps of Pioneers.

(*Effective date of award—7th January* 1973).

On the morning of 7th January 1973, a camp-site, located at Srinagar—Leh road, was hit by air-borne avalanches which caused large scale havoc in the area. The blast generated by the air-borne avalanches accompanied with dry powdery snow destroyed a number of barracks leaving in its wake a saga of destruction and damage unknown during the last ten years of the known history of this camp. The worst affected buildings, which were razed to the ground, included those occupied by our men. Out of 15 occupants of one of these buildings, a few could manage to come out while the remaining who were badly traped started crying for help. It was under these circumstances that Pioneer Raghubir Singh, in utter disregard to the danger of and destruction caused by the avalanches, went out alone and started all-out efforts to rescue those who were groaning under the crushed building. He broke open the timber roof with his bare hands, managed to get in and extricated two persons. Nearby, there was a frantic call for help from a civilian chowkidar, who had been pressed down under the heavy false ceiling. Pioneer Raghubir Singh put his shoulder and heaved up the mass of mangled roof to enable the civilian chowkidar to move out of that place. Later, Pioneer Raghubir Singh was joined by some others to help extricate the remaining persons, who could not be rescued by him alive despite his best efforts.

Pioneer Raghubir Singh also displayed utter fearlessness while volunteering to go into the partially destroyed MI room for taking out some life saving drugs, oxygen cylinder and other medicines required urgently by the medical officer for attending to those who had sustained injuries, and that too at a time when air-borne avalanches were continuing their destructive activity all round the camp.

Throughout, Pioneer Raghubir Singh displayed exemplary courage, initiative and determination of a high order.

5. Shri MATBAR SINGH SAJWAN,
Traffic Officer,
Indian Aairlines, Kabul.

(*Effective date of the award*—1*st May* 1973).

On 1st May, 1973, one Mohd. Khalid, a young Pakistani holding a British passport, visited the Indian Airlines Office at Kabul several times on the pretext of buying a ticket for travel to India. On his last visit at 6 P.M., Shri Matbar Singh Sajwan, Traffic Officer, who was closing the office for the day, told Khalid that no business could be transacted at that late hour. But Khalid moved forward and suddenly pulled out a pistol. Undeterred, Shri Sajwan quickly made up his mind and struck him on the temple and caught his hand in which he was holding the pistol in a firm grip. Khalid fired thrice but missed his target each time. Shri Sajwan ultimately disarmed Khalid, dragged him outside the office and threw him into a drain. As he did so, a big knife fell out of his assailant's pocket. On an alarm for help, some passers-by called the police who arrived soon and arrested Mohd. Khalid. His interrogation revealed the particulars of three accomplices who were later arrested from different parts of Kabul.

Investigations revealed that the aim of Mohd. Khalid and his accomplices was to assassinate the Indian Ambassador to Afghanistan and other senior officials of the Indian Embassy by securing a letter of introduction to the Ambassador from the Indian Air lines' Station Manager at gun-point.

In this action, Shri Matbar Singh Sajwan displayed exemplary courage, great presence of mind and determination of a high order.

6. Captain THOTTUPURATHU KRISHNAN NAIR SUKUMARAN NAIR, (SS 23512)
Engineers.

(*Effective date of award*—25*th June* 1973).

One 25th June 1973, Captain Thottupurathu Krishnan Nair Sukumaram Nair, who was incharge of Sapper party from an Engineer Regiment, was entrusted with the task of breaching minefields which were covered by automatic weapons from Pakistani post at Pimple on the south western slopes of Laleali. He volunteered to command the first basic breaching party to build the confidence of soldiers under his command. The mines had been laid very ingeniously by the Pakistani Forces and their automatic weapons had been opening up every now and then. Task of disarming the mines was being done by this officer himself and his personal example and complete disregard to danger enabled the party to execute the task successfully. After disarming about 18 mines, they came across certain mines which were not easy to locate and lift. He once again led his party and succeeded in locating and disarming these mines. However, in the process, one of these mines brust, and as a result he received severe injuries. He lost both the hands and sustained severe internal and external injuries to his abdomen.

In this action, Captain Thottupurathu Krishnan Nair Sukumaram Nair displayed exemplary courage and determination of a high order.

7. 190567 Battalion Havildar Major PEMBA LAMA,
The Assam Rifles.

(*Effective date of award*—12*th July* 1973).

Battalion Havildar Major Pemba Lama was a member of a patrol party of Assam Rifles which was detailed on 10th July 1972 to locate and raid a hide out of the Mizo hostiles which was disclosed by a hostile who had been apprehended in a village earlier while collecting funds for a hostile underground organisation. After a strenuous march of over 20 hours, through thick jungles, hilly terrain and fast flowing nallas, the patrol party reached the area of the hideout and soon took positions to launch an attack. Battalion Havildar Major Pemba Lama moved forward with three other ranks, while the remaining patrol party gave them a fire cover. To reach the hiding place, the Non-Commissioned Officer and his men had to move cautiously over a precipice with steep gradient through thick undergrowth along the bank of a deep *khud*. The party moved dauntlessly and speedily disregarding the fire from the hostiles. Unmindful of his personal safety, the Non-Commissioned Officer jumped 15 feet down and rushed into the camp hut, but by that time the two hostiles, who had been firing, had run away, leaving behind ammunition, stores and some valuable documents.

In this action, Battalion Havildar Major Pemba Lama displayed exemplary courage, initiative and determination of a high order.

8. 132756 Rifleman DHALAK BAHADUR THAKURI,
Assam Rifles.

(*Effective date of award*—8*th September* 1973).

On receipt of information about the presence of some hostile Nagas' near a village—Longching—a column of Assam Rifles was assigned the task of searching and raiding the hide-outs

of the hostiles. The column set out from their post on 8th September 1973 and reached the outskirts of village Changlang before dawn. The exact location of the hostiles was not known, but it was suspected that they were hiding in one of the *kheti* huts on the slope of the hill towards Longching. The column was divided into 3 sections. The main column of two sections was to fan out and search while descending the slope of the hill. Rifleman Dhalak Bahadur Thakuri was with one of these sections, which set out for the search before day break. During the search, it was noticed that some smoke was emitting from one of the *kheti* huts on the slope downhill. While advancing towards the hut, Rifleman Thakuri spotted three hostiles coming out of the hut and trying to escape. When he shouted at them to stop and surrender, the hostiles opened up fire. Undeterred, Rifleman Thakuri rushed towards the hostiles and chased them and succeeded in shooting down the notorious underground hostile leader Thungo Konyak, who was armed with pistol. The successful action by the column led to the elimination of this important underground hostile leader besides killing of two other hostiles.

In this action, Rifleman Dhalak Bahadur Thakuri displayed exemplary courage and determination of a high order.

9. G/25592 OEM MANSUR KHAN,
General Reserve Engineer Force,

(*Effective date of award*—13*th October* 1973).

Due to heavy and incessant rains from 11th to 13th October 1973, throughout Sikkim and the north of West Bengal, the rivers were in spate and about half a kilometre of National Highway near Rangpo was completely washed away. All traffic came to a standstill between Gangtok and Rangpo. Though the river Rangpochu was heavily flooded and the slides at the breached portion were still very active, the work of cutting a new road in the breached portion had to be commenced immediately. OEM Mansur Khan, who was entrusted with this task, knowing full well the risk involved to his life due to falling boulders and continuous active sliding mass, operated his machine continuously in very trying and hazardous conditions and was thus instrumental in speedy restoration of traffic on the National Highway, a vital link to Sikkim from the north of West Bengal.

In this action, OEM Mansur Khan displayed exemplary courage, initiative and determination of a high order.

10. Major JAGROOP SINGH BRAR (IC-14433),
The Rajputana Rifles.

(*Effective date of award*—17*th October* 1973).

Major Jagroop Singh Brar was serving with a battalion of Rajputana Rifles which was deployed in Mizoram and he apprehended two armed hostiles who were making arrangements to celebrate the so called National Day of the hostiles. He thus not only eliminated the possibility of such celebration but also came to know, through sustained interrogation of the captured hostiles, the whereabouts of a hide-out of the underground rebels. He volunteered and was assigned the task of leading a raiding party of 25 men to the hideout which involved cross country movement over mountaineous terrain covered with thick undergrowth and crossing of a river which was in spate due to heavy monsoons in the area. After a long and difficult night journey for 12 hours, the raiding party reached the suspected area on the next day.

Major Brar divided the column in four parties, two of which were detailed as stops at ferries and the other two for attacking the hostiles' camp, which was situated on a very steep hill slope flanked by a deep *nallah*. Major Brar advanced with a Junior Commissioner Officer and one Other Rank and instructed another party to approach through adjacent *nallah* simultaneously. The raiding party ran into the camp and took the hostiles by surprise. As the hostile sentry opened fire, Major Brar led the charge on the camp, firing from his sten machine carbine. Soon the other party also opened fire and the hostiles fled leaving behind a large quantity of arms and ammunition and valuable documents. During the raid Major Brar was injured in his left leg when a fleeing hostile attacked him with his Dah.

In this action, Major Jagroop Singh Brar displayed exemplary courage, determination and leadership of a high order.

11. C/113970 PNR SADU DAVID,
General Reserve Engineer Force.

(*Effective date of award*—16*th November* 1973)

On 16th November, 1973, at about 2315 hours, two hostile Nagas, armed with deadly weapons, encountered Pnr Sadu David while he was on sentry duty. The hostiles threatened him with death if he did not divulge the whereabouts of his Officer Commanding, exact location of arms, ammunition and cash kept in the unit. Pnr Sadu David, who was unarmed, did not divulge this information and, on the contrary, grappled with them and raised an alarm. During the scuffle, the hostiles wounded Pnr Sadu David seriously and, on seeing the other sentries rushing towards them, fled to the nearby jungle. The courageous action and the stiff resistance put up by Pnr Sadu David thus saved the cash, arms, ammunition and stores of his unit from being looted by the hostiles.

In this action, Pnr Sadu David displayed exemplary courage, determination and devotion to duty of a high order.

12. GO-1018 Civilian Officer Grade III ATINDRA NATH GUHATHAKURTA (*Posthumous*)
General Reserve Engineer Force.

(*Effective date of award*—1*st December*, 1973)

On 1st December 1973, Shri Atindra Nath Guhathakurta a Civilian Officer of the General Reserve Engineer Force, was carrying cash approximately Rs. 4.5 lakhs from Lungleh Treasury to the Headquarters of a Border Roads Task Force in a vehicle under an armed guard. On the way, the vehicle was ambushed by the Mizo hostiles. Though Shri Guhathakurta was mortally wounded with bullets fired from point blank range from the hostile Light Machine Gun, subsequently resulting in his death, he, in utter disregard to his personal safety, ordered the escort party to protect the cash at all costs and not to bother about his life. This heroic action eventually resulted in the saving of the cash.

Shri Atindra Nath Guhathakurta thus displayed exemplary courage, determination and devotion to duty of a high order.

13. 181883 Rifleman KARNA BAHADUR GURUNG,
Assam Rifles.

(*Effective date of award*—1*st December* 1973).

On 1st December 1973 Rifleman Karna Bahadur Gurung was a member of an escort party, which was detailed to accompany the cash being carried from Lungleh to Pawipur at a distance of 23 miles. The cash belonged to a Border Roads unit and was loaded on a *jonga*, locked in a steel box. The Commander of the escort party and three other got into the *jonga*, while 11 other personnel including Rifleman Karna Bahadur Gurung were travelling in a 1 ton escort vehicle. After leaving Lungleh at 1500 hours on 1st December 1973, the party had only covered a distance of seven miles, when suddenly the hostiles opened fire from both sides of the road from night ground. The escort commander in the *jonga* trained his Light Machine Gun on the high ground and opened effective fire in reply. The *jonga* came to a halt just below the high ground. By this time three men in the *jonga* were either mortally wounded or rendered ineffective. The escort commander jumped out of the *jonga* and took position in a drain and tried to ward off the hostiles from approaching the *jonga*. In the meantime the vehicle escorting the *jonga* went off the road and fell into the *khud*. The occupants of the vehicle were either injured or rendered completely nervous; the driver also was nervous and lost control of the vehicle. Rifleman Karna Bahadur Gurung jumped out of the vehicle and took position with his Light Machine Gun on the right side of the road. Another Rifleman followed him and took position on his left; he was instructed to engage the hostiles on the high ground while Rifleman Karna Bahadur Gurung kept watch on both sides so as to stop the hostiles from approaching the cash. When the hostiles brought heavy cross fire, he changed his position and continued to engage the hostiles. The determined fight given by the other rank broke the will of the hostiles who gave up their aim and retreated under the cover of darkness. The other rank then moved on the high ground and kept a watch on the fleeing hostiles as well as the *jonga*. Rifleman Karna Bahadur Gurung thus saved the cash from being looted by the hostiles.

In this action, Rifleman Karna Bahadur Gurung displayed exemplary courage, determination and presence of mind of a high order.

14. SHRI TOKHOVI TUKU, Assistant Commandant, The Border Security Force.

(Effective date of award—31st December 1973)

Shri Tokhovi Tuku has played a very prominent part in the capture of a notorious hostile leader and his gang in Nagaland. On a number of occasions, he led detachments in raid on the under-ground hostiles in utter disregard to his personal safety. He was also instrumental in planning and conducting operations which resulted in the capture of large quantities of arms and ammunition.

Throughout, Shri Tokhovi Tuku displayed exemplary courage, determination and leadership of a high order.

15. SHRI VIHOI SEMA, Inspector, The Border Security Force.

(Effective date of award—31st December 1973)

Shri Vihoi Sema has rendered valuable assistance in the conduct of several successful operations against Naga hostiles and in the capture of a notorious hostile leader in utter disregard of his personal safety. He personally led a number of patrols against the hostiles and was instrumental in tracking down the remanants of the trained gang of hostiles who were scattered in the jungles in that area.

Shri Vihoi Sema thus displayed exemplary courage, determination and leadership of a high order.

16. SHRI ZEKIYA SEMA, Inspector, The Border Security Force.

(Effective date of award—31st December 1973)

Shri Zekia Sema has rendered very valuable assistance in the conduct of a number of operations against Naga hostiles which resulted in the capture of many hostiles, and a large number of weapons and ammunition. He was instrumental in the execution of the plans for the capture of a notorious hostile leader with his gang of 175 men who were fully armed.

Shri Zekia Sema thus displayed exemplary courage, determination and devotion to duty of a high order.

17. 191025 Naik NYALU RENGAMA, Assam Rifles.

(Effective date of award—31st January 1974)

Naik Nyalu Rengama was the Second in Command of the special patrol which was given the task of capturing a notorious and much wanted hostile leader. When the gang of the hostiles was attacked by the patrol, which was much smaller in number than that of the hostiles, the patrol commander, was attacked by the hostiles. Naik Nyalu Rengama immediately charged the hostiles who were attacking the patrol commander, and succeeded in killing one of them while others ran away into the jungle. By this heroic action, Naik Rengama not only succeeded in saving the life of his patrol commander, who subsequently succeeded in capturing the hostile leader, but also helped to drive off the hostiles and thus prevented them from rescuing their leader.

Naik Nyalu Rengama thus displayed exemplary courage, initiative and determination of a high order.

18. G/8125 DME TIKA RAM, General Reserve Engineer Force.

(Effective date of award—2nd May 1974)

G/8125 DME Tika Ram was employed on snow clearance on Manali-Leh Road during April/May 1974. He worked at a dangerous avalanche point very near to Rohtang Pass where normal temperature was sub-zero. He worked for over 12 hours under very hazardous and difficult conditions on his own initiative though normal working hours in that area were limited to six hours due to poor visibility. It was his determination and strong will which inspired him to work in extremely dangerous and forbidding blizzards which continued for five days. It was because of his untiring efforts, exceptional devotion to duty and utter disregard to his personal safety and comfort, that the road was opened to traffic in record time.

DME Tika Ram thus displayed exemplary courage determination and devotion to duty of a high order.

19. JC 61395 Subedar INDRA SINGH GURUNG, Assam Rifles.

(Effective date of award—3rd May 1974)

Subedar Indra Singh Gurung was commanding a post at Darngawn. On 30th April 1974, he received information that there was a hostile camp in the area of Harturtalang, a feature approximately 6,000 feet high and about 55 kilometres away. Realising that speed and secrecy were of utmost importance, he decided to move at night only. He immediatly collected about 18 Other Ranks from his post and set out for the suspected hostile camp. On 3rd May, 1974, the team reached the suspected area after a strenuous march during nights, taking the jungle track to avoid villages. The hostile camp was located on the top of hill feature, the approach to which was a steep climb. Subedar Gurung divided his party into two batches and to effect surprise, he decided to risk the raid with a smaller force of 8 men led by himself. He left the other batch in the rear.

On reaching near the camp, the leading scout of the party saw the hostiles cooking food with their weapons leaned against some rocks. The presence of other hostiles in the vicinity was also not ruled out. In order to capture the hostiles alive, the party took positions while Subedar Gurung and the scount crawled forward. In the meanwhile, two of the hostiles spotted them. Subedar Gurung immediately moved forward fearlessly firing from hip position. The two hostiles were killed in the encounter, while others ran for their lives leaving behind arms and ammunition and some valuable documents and photographs.

In this action, Subedar Indra Singh Gurung displayed exemplary courage, determination and leadership of a high order.

20. G/2461 DME Bahadur Singh, General Reserve Engineer Force.

(Effective date of award—9th May 1974)

G/2461 DME Bahadur Singh was employed on snow clearance at Rohtang Pass at a height of 13,000 ft. on Manali Leh Road during April/May 1974. Despite extremely difficult conditions with blizzards and biting cold, he carried out the task of snow clearance in utter disregard to his personal safety. Although the working hours were limited to less than six hours due to poor visibility Shri Bahadur Singh worked for long hours in extreme sub-zero temperature in deep and soft snow with no guide markers. The task carried out by him was beyond the normal call of his duty.

DME Bahadur Singh thus displayed exemplary courage, determination and devotion to duty of a high order.

21. G/1504 DME JOGINDER SINGH, General Reserve Engineer Force.

(Effective date of award—9th May 1974)

G/1504 DME Joginder Singh was employed on snow clearance in sector Rohtank -Koksar at a height of 13.000 ft. on Manali-Sarchu Road during April/May 1974. The snow in that region was over 40 ft. deep with temperature falling to minus 10°C. The dozer which Shri Joginder Singh was operating broke down. Instead of bringing the dozer to Base for repair, he decided to stay back and operate on another machine in double shift to compensate the loss due to his machine going out of order. While doing double shift duty, Shri Joginder Singh had to operate late hours at night in biting cold in deep soft snow without any markers in an area subjected to frequent avalanches. The task voluntarily carried out by him was beyond the normal call of his duty and was, therefore, highly commendable Due to his tireless efforts Rohtang Pass was opened to traffic in record time.

DME Joginder Singh thus displayed exemplary courage, determination and devotion to duty of a high order.

22. 1436216 Sapper DARSHAN SINGH *(Posthumous)* Engineer Regiment.

(*Effective date of the award—18th May*, 1974)

While employed with an Engineer Regiment, Sapper Darshan Singh was assigned the task of a very important nature. He worked ceaselessly with zeal, perseverance, dedication to duty, and made sustained effort to accomplish the task within the time schedule. While doing the job, he was fatally injured and thus made the supreme sacrifice.

Sapper Darshan Singh displayed exemplary courage, determination and dedication to service of a nigh order.

23. 3368983 Sepoy JASWANT SINGH,
The Sikh Regiment.

(*Effective date of award—20th May* 1974)

Sepoy Jaswant Singh was a member of a team detailed to locate and raid a hide-out of Naga hostiles. The team was organised into three groups and it was planned to establish six stops. The team moved from a pos. stealthily over difficult route through thick undergrowth and were in position by early hours of 20th May 1974. The raid was planned at a fixed time but sensing the unpredictable and elusive behaviour of a hostile, who had escaped capture many times, the raid was launched earlier. The three raiding parties moved in unison and slowly closed-up near the hide-out with only a *nallah* in between. The troops on the left flank were ordered to negotiate the *nallah*, when suddenly three of the hostiles ran out of the hide-out. The party commander ordered to open fire. One of the fleeing hostiles got injured, and in order to escape, jumped into the *nallah*. Without a moment's delay, Sepoy Jaswant Singh rushed towards him and pounced upon him and killed him.

In this action, Sepoy Jaswant Singh displayed exemplary courage, determination and presence of mind of a high order.

24. G/21198 MT/DVR KARTAR SINGH,
(*Posthumous*)
General Reserve Engineer Force.

(*Effective date of award—6th June* 1974)

On 6th June 1974, MT/Dvr Kartar Singh of a Road Construction Company was detailed to carry Sector Incharge and other staff from Chungthang to Lachung in north Sikkim along the existing mountainous road under improvement. While negotiating a sharp and steep bend his jeep suddenly developed a mechanical defect resulting in the failure of the gear assembly and the bracking system and the vehicle started moving backwards on the steep gradient. In spite of his best efforts, MT/Dvr Kartar Singh was not able to control the vehicle and bring it to a halt. Seeing that the vehicle was rolling down and his life was in danger, he did not lose his presence of mind and shouted to the other passengers to jump out of the vehicle to save their lives. This brave and devoted driver who could have easily saved his own life by jumping out of the vehicle, did not do so but gave his life in his efforts to save the vehicle and the lives of the other passengers.

MT/Dvr Kartar Singh thus displayed exemplary courage, determination and devotion to duty of a high order.

K. BALACHANDRAN,
Secretary to the President.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 30th April 1975

No. U-13019/7(i)/75-ANL.—In partial modification of the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. U-13019/9(iii)/74-ANL dated the 3rd September, 1974, the President is pleased to direct that the figures and words "31st March, 1975" occuring in the said notification shall be read as "30th June 1975".

No. U-13019/7(ii)/75-ANL.—In partial modification of the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. U-13019/9(iv)/74-ANL dated the 3rd September 1974, the President is pleased to direct that the figures and words "31st March, 1975' occuring in the said notification shall be read as "30th June, 1975".

K. K. GUPTA, Dy. Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 10th April 1975

No. 39/EB/75/No. Q/PB/611/14/74.—Corrigendum to the Rules for the I.F.S. 'B' Limited Departmental Competitive Examination 1975 notified under the Ministry of External Affairs Notification No. Q/PB/611/5/74 dated 22-6-74, published in the G. of I. dated 29-6-74 :—

(1) Rule 4 of the Rules should read as under :

"Any permanent or regularly appointed temporary officer of the Indian Foreign Service, Branch 'B', belonging to the Grade IV of the General Cadre, or Grade II of the Cypher Sub-Cadre or Grade II of the Stenographers Sub Cadre who, on the 1st January, 1975 satisfies the following conditions shall be eligible to appear at the examination :—

(1) *Length of Service* : He should have rendered an approved and continuous service of not less than five years in any one or as the case may be, more than one of the following posts in Indian Foreign Service Branch 'B' namely :—

(i) Grade IV of the General Cadre;

(ii) Grade II of the Cypher Sub-Cadre;

(iii) Grade II of the Stenographers' Sub-Cadre;

(2) *Age* : (a) He should not be more than 45 years of age, i.e. he must not have been born earlier than 1st January, 1930.

(b) The age limit prescribed above will be further relaxable :

(i) Upto a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) Upto a maximum of three years if a candidate is a bonafide displaced person from erstwhile East Pakistan and had migrated to India on or after 1st January 1964 but before 25th March, 1971;

(iii) Upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from erstwhile East Pakistan and had migrated to India on or after 1st January, 1964 but before 25th March, 1971;

(iv) Upto a maximum of three years if a candidate is a resident of the Union Territory of Pondicherry and has received education through the medium of French at some stage;

(v) Upto a maximum of three years if a candidate is a resident of the Union Territory of Goa, Daman and Diu;

(vi) Upto a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of India origin from Sri Lanka (formerly known as Ceylon) and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964.

(vii) Upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Sri Lanka (formerly known as Ceylon) and has migrated to India on or after 1st November, 1964 under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964.

(viii) Upto a maximum of three years if a candidate is of Indian Origin and has migrated from Kenya, Uagnda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar);

(ix) Upto a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian Origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(x) Upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has mirgated to India on or after 1st June, 1963.

(xi) Upto a maximum of three years in the case of Defence Services Personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof;

(xii) Upto a maximum of eight years in the case of Defence Services personnel, disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof, who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMIT PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

NOTE 1 : Officers belonging to Grade IV of the General Cadre or Grade II of the Cypher Sub-Cadre or Grade II of the Stenographers' Sub-Cadre, who are on deputation to ex-cadre posts with the approval of the competent authority shall be eligible to be admitted to the examination if otherwise eligible. This, however does not apply to a person who has been appointed to an ex-cadre post or to another service on 'transfer' and does not have a lien on any post in the Indian Foreign Service Branch 'B'.

NOTE 2 : Asistants of the Central Secretariat Service and Stenographers of the Central Secretariat Stenographers Service who are on deputation to the Indian Foreign Service, Branch 'B' shall not be eligible for admission to the examination."

(2) Rule 11 of the Rules should read as under :

"A candidate who after applying for admisison to the examination or after appearing in it, resigns his appointment in Grade IV of the General Cadre/ Grade II of the Cypher Sub-Cadre/Grade II of the Stenographers' Sub-Cadre of Indian Foreign Service Branch 'B' or otherwise quite the Service or severs his connections with it, or whose services are terminated by his Department or who is appointed to an ex-cadre post or to another Service on "transfer" and does not have a lien on any post in Indian Foreign Service, Branch 'B' will not be eligible for appointment on the results of this examination.

This, however, does not apply to a person who has been appointed on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority."

I. V. CHOPRA, Under Secy.

MINISTRY OF PETROLEUM

New Delhi, the 22nd April 1975

RESOLUTION

No. IS-23011/8/75-FSP.—With a view to improving the distribution arrangements for petroleum products required for personal consumption agricultural operations, read tansport and small scale industries, the Government of India has decided to set up a Committee to examine and report on—

(i) The arrangements for the distribution of the petroleum products starting from the Main Installations, pipeline terminals and depots down to the retail outlets.

(ii) The need to expand the retail network so as to reach the products as close to the consumer, particularly in the rural areas, as marketing economics would allow and for that purpose to strengthen regional storage points.

(iii) Whether the retail network should be further strengthened by the induction of genuine consumer cooperatives the Agro-Industries Corporations, Agro-Service Centres etc. in therural and semi-urban areas.

(iv) Level of inventory to be maintained at the various storage points below which stocks should not be allowed to deplete and the arrangements necessary when because of unforeseen factors stock holdings are reduced to lower levels.

(v) The manner in which oil companies may be designated as the reigonal lead companies for maintaining close liaison with the State Governments and its agencies to ensure that adequate supplies are maintained and distribution of consumer products like kerosene, HSD and LDO is done on a rational basis and possibilities of malpractices eliminated.

(vi) The field supervision maintained by oil companies and the measures necessary to intensify and improve upon such supervision so that consumer complaints can be dealt with speedily.

(vii) The measures necessary for economising on overheads transportation, cross movement and other charges to reduce their incidence on conumer prices.

(viii) Any ancillary or related matters.

2. The Committee will ascertain and take into consideration the views of the State Governments and such other interests concerned as may be found desirable. The Committee may also invite such persons as it may consider necessary to attend any meetings.

3. The composition of the Committee will be as follows :—

(i) Shri K. R. Damle, formerly Chairman of Union Public Service Commission. Chairman

(2) Shri C. R. Das Gupta, Chairman, Indian Oil Corporation Ltd.

(3) Shri S. Krishnaswami, Chairman, Hindustan Petroleum Corporation.

(4) Shri Kamaljit Singh, Managing Director Associated Cement Companies Ltd.

(5) Shri A. P. Verma, Managing Director, Indo-Burma Petroleum.

4. Shri T. Kumaran, General Manager (Marketing), Indian Oil Corporation will be the Secretary to the Committee. All Secretariat Assistance as required by the Committee will be provided by the Marketing Division of the Indian Oil Corporation.

5. The Committee's Headquarters will be at Bombay.

6. The Committee will meet as often and at such places as may be considered necessary by the Chairman and shall submit its main report to Government by 15th May, 1975. Supplemental reports on items not covered in the main report shall be submitted before 30th June, 1975.

ORDERED that this Resolution be communicated to all the Ministries of the Government of India, all the State Governments, Prime Minister's Secretariat, Cabinet Secretariat, Secretary to the President, the Planning Commission, the Comptroller and Auditor General of India, the Accountant General, Commerce, Works and Misc., and Accountant General, Central Revenues.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

C. VENKATARAMANI, Jt. Secy.

MINISTRY OF INDUSTRY & CIVIL SUPPLIES

(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT)

New Delhi, the 30th April 1975

No. 6-1/71-CEM.—The Government of India hereby appoints (i) Shri S. R. Khanna, Development Officer, as Member-Secretary of the Panel on Asbestos Cement Products Industry constituted by the Resolution of the Government of India

in the erstwhile Ministry of Industrial Developments No. 6-1/71-Cem dated the 7th March, 1972 *vice* Shri S. K. Basu, Development Officer in view of change in his portfolio; and (ii) Dr. A.J.P. Sabharwal, Managing Director, M/s. Asbesto Cement Ltd. *vice* Shri A. J. Austen, Managing Director, M/s. Asbestos Cement Ltd; and directs that the following amendments shall be made in the said resolution :

In the said Resolution, the following shall be substituted in place of the existing entry :—

Under the heading Member Secretary

Shri S. R. Khanna,
Development Officer,
Asbestos & Cement Products Dte.,
Directorate General of Technical Development,
New Delhi.

Under the heading Members

(i) A. J. P. Sabharwal,
Managing Director,
Asbestos Cement Ltd.,
Bombay.

V. K. KAPOOR, Deputy Secy.

MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS

(DEPTT. OF PETROLEUM)

New Delhi, the 30th April, 1975

RESOLUTION

No. IS.25011/1/74-SUP.—Vide resolution No. M-17011/12/72-SUP dated the 31st October, 1973 the Government of India have constituted two panels—one for processing applications for allotment of base stocks to new entrepreneurs of various sizes and the other for allocation of the feedstocks among all the new and old entrepreneurs and manufacturing units. The composition of the two panels and the terms of reference has been modified as under :—

(1) *Panel for processing applications for allotment of base stocks to new entrepreneurs of various sizes*

Composition :

Chairman

1. Shri M. Kurien,
Adviser (Refineries),
Ministry of Petroleum and Chemicals,
Shastri Bhavan,
New Delhi.

Members

2. Shri P. K. Goel,
Head of Division,
Indian Oil Corporation Ltd.,
(Research and Development Centre),
Sector 13, Faridabad.

3. Shri H. K. Mulchandani,
Head, Projects Division,
Indian Institute of Petroleum,
19, Ring Road, Lajpat Nagar,
New Delhi-24.

4. Shri K. Krishan,
Manager, Lubes & Specialities,
Hindustan Petroleum Corporation, Ltd.,
17, Jamshedji Tata Road,
Bombay.

(2) *Panel for allocation of the feedstocks among all the new and old entrepreneurs and manufacturing units.*

Composition :

Chairman

1. Shri M. Kurien,
Adviser (Refineries),
Ministry of Petroleum and Chemicals,
Shastri Bhavan,
New Delhi.

Members

2. Shri S. M. Saxena,
Manager, Special Projects (Lubricants),
Marketing Division,
Indian Oil Corporation Ltd.,
254-C, Dr. Annie Besant Road,
Prabhadevi, Bombay-25 DD.

3. Shri H. K. Mulchandani,
Head, Projects Division,
Indian Institute of Petroleum,
19, Ring Road, Lajpat Nagar,
New Delhi-24.

4. Shri K. Krishan,
Manager, Lubes & Specialities,
Hindustan Petroleum Corporation, Ltd.,
17, Jamshedji Tata Road,
Bombay.

These panels will also look after the distribution of micro-crystalline wax among various processors.

ORDER

Ordered that this amendment be communicated to all the Ministries of the Government of India, all the State Governments, Prime Minister's Secretariat, Cabinet Secretariat, Parliament Secretariat, Private and Military Secretaries to the President, the Planning Commission, the Comptroller and Auditor General of India, the Accountant General Central Revenues.

Ordered also that the amendment to the resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. K. OJHA, Under Secy.

MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE

(DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi, the 29th April, 1975

RESOLUTION

No. F. 7-2(3)/74-D.1(L).—The Hindi Shiksha Samiti was reconstituted by this Ministry's Resolution No. F. 1-8/71-H dated the 21st June, 1972 as amended by Resolution No. F. 1-8/71-H dated the 4th September 1973, No. F. 7(2)/1/74-D.1(L) dated the 18th June, 1974 and No. F.7-2(1)/74-D.1 (L) dated the 29th August, 1974. The tenure of the reconstituted Samiti having expired, the Samiti is hereby further reconstituted as follows :—

I. *Composition* :

Chairman

1. Minister for Education, Social Welfare and Culture.

1st Vice-Chairman

2. Minister of State (Department of Education).

2nd Vice-Chairman

3. Deputy Minister Incharge of Hindi (Department of Education).

4. Four Members of the Lok Sabha nominated by the Speaker :

Members

(i) Shri Chakleshwar Singh
(ii) Dr. J. S. Malkote
(iv) Shri Shiv Kumar Shastri
(iv) Shri Sukhdeo Prasad Verma

5. Two Members of the Rajya Sabha nominated by the Chairman :

Members

(i) Shri Kamalnath Jha
(ii) Shri Indradeep Sinha

Members

6. Education Secretary.

7. Hindi Adviser to Government of India.

8. Joint Secretary/Joint Educational Adviser in charge of Languages in the Department of Education.

9. Chairman, Commission for Scientific and Technical Terminology.

10. Chairman, Kendriya Hindi Shikshan Mandal, Agra.

11. One representative each nominated by the Governments of non-Hindi Speaking States.

12. One representative each from the following Voluntary Hindi Organisations :

Members

(i) Akhil Bhartiya Hindi Sanstha Sangh, New Delhi.

(ii) Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha, Madras.

(iii) Hindi Sahitya Sammelan, Allahabad.

(iv) Rashtrabhasha Prachar Samiti, Wardha.

(v) Manipur Hindi Parishad, Imphal.

13. Three prominent Hindi scholars

Members

(i) Prof. Lakhshmi Sagar Varshney, University of Allahabad, Allahabad.

(ii) Shri Mujib Rizvi, Jamia Millia Islmaia New Delhi.

(iii) Dr. N. Nagappa, Former Professor of Hindi, University of Mysore, Mysore.

14. Two linguistics experts :

Members

(i) Dr. S. K. Verma, Professor of Linguistics, Central Institute of English and Foreign Languages, Hyderabad.

(ii) Prof. Masud Hussain, Vice-Chancellor, Jamia Millia Islamia, New Delhi-24.

Member-Secretary

15. Director/Deputy Secretary/Deputy Educational Advisor in charge of Hindi in the Department of Education.

Permanent Invitees:

(i) Honorary Consultant Commision for Scientific and Technical Terminology/Ministry of Education and Social Welfare.

(ii) Director, Kendriya Hindi Sansthan, Agra.

(iii) Additional Director, Central Hindi Directorate, New Delhi.

The first Vice-Chairman shall provide over the meetings of the Samiti in the absence of the Chairman. The second Vice-Chairman shall preside in the absence of both the Chairman and the first Vice-Chairman.

II. Tenure :

The tenure of the members of the Samiti shall ordinarily enure upto the 31st December, 1977 provided that :

(i) A member nominated under clauses 4 & 5 shall cease to be a member of the Samiti as soon as the ceases to be a Member of Parliament;

(ii) The Ex-officio members of the Samiti shall continue as members so long as they hold the office by virtue of which they are members of the Samiti;

(iii) Other nominated members shall hold office during the pleasure of the Government of India.

(iv) If a vacancy arises on the Samiti due to resignation, death, etc. of a member, the member appointed in that vacancy shall hold office for the residue of the tenure of three years.

III. Quorum :

The quorum for the meetings of the Samiti shall be 1/3 of total membership of the Samiti.

IV. *Functions* :

The Samiti shall advise the Government of India on matters of policy pertaining to the propagation and development of Hindi in the country.

V. *Karya Karini Upasamiti* :

In order to enable the Samiti to discharge its various functions effectively it may be appointed a Karyakarini Upasamiti. The Upasamiti shall ordinarily consist of not more than 15 members to be nominated by the Chairman. The first Vice-Chairman of the Samiti and in his absence the second Vice-Chairman of the Samiti shall function as the Chairman of the Upasamiti. The Chairman of the Upasamiti shall have the power to coopt persons either from amongst the members of the Samiti or from outside who process socialist knowledge and experience of the problems of propogation and development of Hindi in the country.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all the Non-Hindi Speaking States, Prime Minister's Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat Planning Commission, Presidents Secretariat and all the Ministries and Departments of the Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. K. CHATURVEDI,
Director (Languages).

MINISTRY OF ENERGY
(DEPARTMENT OF COAL)

New Delhi, the 16th April 1975

No. 17011/26/74-CPC—In continuation of Resolution of even number dated 26th December, 1974, the Government of India have been pleased to grant time till 31st May, 1975 for the submission of the report of the Committee to review plans for coal supplies to steel plants during the Fifth and Sixth Five-Year Plans.

S. B. LAL, Joint Secy.

MINISTRY OF WORKS & HOUSING

New Delhi, the 19th April 1975

RESOLUTION

No. Q1301/971-PHE Vol. II (CUW).—In para I of the Ministry of Health and Family Planning (Department of Health) Resolution No. Q.13016/9/71-PHE dated the 6th May, 1972 entry 8 shall be substituted by the following entry :—

"8. Director, National Environmental Engineering Research Institute, Nagpur." — Member.

ORDER

Ordered that the Resolution be communicated to :—

1. Lok Sabha Secretariat, New Delhi.

2. Rajya Sabha Secretariat, New Delhi.

3. Prime Minister Secretariat, New Delhi.

4. Cabinet Secretariat, New Delhi.

5. Planning Commission, New Delhi.
6. Private and Military Secretariat to the President.
7. Comptroller and Auditor General of India, New Delhi.
8. All Ministries and Departments of the Government of India.
9. All State Governments and Union Territories.
10. Accountant General, Central Revenues, New Delhi.
11. Indian Council of Medical Research, New Delhi.
12. Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi.
13. National Environment Engineering Research Institute, Nagpur.
14. All India Institute of Hygiene and Public Health, Calcutta.
15. All members of the Committee on Urban Wastes.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India.

PRAKASH NARAIN,
Deputy Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975